[ 2021 ] 7 एस. सी. आर 957

जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी. लिमिटेड।

वी.

एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर।

( सिविल अपील सं। 8343-8344 2018 का)

10 अगस्त, 2021

[ रोहिंटन फाली नरीमन और बी. आर. गवई, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:

एसएस। 44 , 47 , 48 - विदेशी पुरस्कार-मान्यता और प्रवर्तन

तथ्यों पर,

के, मध्यस्थता समझौते के गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ-हांगकांग स्थित कंपनी-प्रतिवादी नं। 1 - आईएसएस और भारतीय

कंपनी-डी. एम. सी. ने एक प्रतिनिधित्व समझौता किया-इसके संदर्भ में, आई. एस. एस. को डी. एम. सी. को अपनी वस्तुओं और सेवाओं को संभावित ग्राहकों को बेचने में सहायता करनी थी और विचार में इसे प्राप्त करना था।

आयोग-संशोधन द्वारा, समझौता डेलावेयर राज्य, यू. एस. ए. के कानूनों के अधीन था-पक्षों के बीच विवाद-आई. एस. एस. द्वारा मध्यस्थता की शुरुआत, यह दावा करते हुए कि डी. एम. सी. ने कथित रूप से इसे समाप्त कर दिया। आई. एस. एस. द्वारा शुरू किए गए ग्राहकों के साथ अनुबंध और अपीलकर्ता कंपनी-जी. बी. टी., डी. एम. सी. के अध्यक्ष के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी के साथ नए अनुबंधों को निष्पादित किया, जिससे आई. एस. एस. अपने आयोग से वंचित हो गया-आई. एस. एस. ने खोए हुए आयोगों के लिए लेखांकन के आधार पर हर्जाने का दावा किया-डी. एम. सी., डी. एम. सी., डी. एम. सी. जी., जी. बी. सी. और अपीलकर्ता कंपनी के अध्यक्ष ने उत्तरदाताओं के रूप में दावा दायर किया-पुरस्कार जारी करना।

मध्यस्थ द्वारा डी. एम. सी., डी. एम. सी. जी., डी. एम. सी., जी. बी. सी. के अध्यक्ष और अपीलकर्ता कंपनी को आई. एस. एस. को दी गई राशि का संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान करने का निर्देश देना-जहां तक निर्णय के प्रवर्तन का संबंध है, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि निर्णय होगा

डी. एम. सी. के खिलाफ प्रवर्तनीय क्योंकि यह समझौते का एक पक्ष था, और मध्यस्थता समझौते के गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं के खिलाफ नहीं-हालांकि, डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार कर दिया-गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा अपील-आयोजितः मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर न करने वालों के खिलाफ

विदेशी निर्णय लागू किया जा सकता है। 47 ( 1 ) ( ग) प्रक्रियात्मक प्रकृति का होना आवश्यकता की सीमा तक नहीं जाता है।

"साबित" करने के लिए ठोस साक्ष्य कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थता समझौता विदेशी पुरस्कारों से बंधा हो सकता है। 47 ( 1 ) ( ग) केवल उन साक्ष्यों की बात करता है जो यह साबित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं कि पुरस्कार एक विदेशी पुरस्कार है-समझौते का एक गैर-पक्ष, यह आरोप लगाते हुए कि

संभवतः एस में फिट नहीं हो सकता है। 48 ( 1 ) ( ए)-अहंकार परिवर्तन का अनुप्रयोग डेलावेयर कानून के तहत सिद्धांत मुख्य रूप से निर्भर करेगा

मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को लागू करने वाले मध्यस्थ ने पहले नेतृत्व किया

उसे तथ्यों पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए-इसके अलावा, विकृति अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन में पुरस्कार को अलग रखने का आधार नहीं

भारत में आयोजित मध्यस्थता-अभिव्यक्ति 'मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत' यू /

एस. 48 ( 1 ) ( ग) केवल इसके दायरे से बाहर के विवादों से निपटता है।

पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता-और यह नहीं कि क्या

जो व्यक्ति समझौते का पक्षकार नहीं है, वह उसी से बाध्य हो सकता है-जहां तक इस बात का संबंध है कि पुरस्कार को अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि

मध्यस्थ द्वारा कोई उचित कारण नहीं दिया गया है, जो प्राकृतिक उल्लंघन है।

न्याय, एस। 48 ( 1 ) ( ख) मध्यस्थता निर्णय में कारणों के अभाव की बात बिल्कुल नहीं करता है-याचिका है कि चूंकि नुकसान अपकृत्य में दिया गया था,

वे मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर होंगे यू/एस के बाद से स्वीकार किया जाएगा। 44 , अपकृत्य दावों का निर्णय एक द्वारा किया जा सकता है

मध्यस्थ बशर्ते कि वे विवाद हैं जो इसके संबंध में उत्पन्न होते हैं

समझौता-इसके अलावा, एस. 46 में "पार्टियों" की बात नहीं करता है। सभी, लेकिन "व्यक्तियों" के जो, इस प्रकार, गैर-हस्ताक्षरकर्ता हो सकते हैं

मध्यस्थता समझौता-इस प्रकार, तथ्यों पर, वास्तविक नुकसान कहा जा सकता है

आई. एस. एस. को अवसर दिया गया है, और दिए गए नुकसान को नहीं माना जा सकता है

इस न्यायालय की अंतरात्मा को झटका देने के लिए कहा गया-नुकसान-सिद्धांत

अहंकार को बदलें।

एस. 44 – विदेशी पुरस्कार-किसी पुरस्कार के लिए सामग्री

विदेशी पुरस्कार-उल्लिखित।

एस. 47 - विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए पूर्व-आवश्यकताएँ

बताया गया है।

एस. 48 ( 1 ) ( क), (ख) और (ग)-विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन के लिए शर्तें-व्याख्या और इसका दायरा-समझाया गया।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 मध्यस्थता की धारा 44 का अध्ययन और

सुलह अधिनियम, 1996 से पता चलेगा कि छह तत्व हैं

उक्त धारा के तहत एक विदेशी पुरस्कार होने के कारण। सबसे पहले, यह उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों के बीच मतभेदों पर एक मध्यस्थ पुरस्कार होना चाहिए

कानूनी संबंधों से बाहर। दूसरा, ये अंतर हो सकते हैं अनुबंध या अनुबंध के बाहर, उदाहरण के लिए, अपकृत्य में।

तीसरा, जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी.। लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर।

इस प्रकार बताए गए कानूनी संबंध पर विचार किया जाना चाहिए।

" वाणिज्यिक "भारत में कानून के तहत। चौथा, पुरस्कार 11 अक्टूबर, 1960 को या उसके बाद दिया जाना चाहिए। पाँचवाँ, पुरस्कार न्यूयॉर्क कन्वेंशन पुरस्कार होना चाहिए, यह लिखित समझौते के अनुसरण में होना चाहिए जिसके लिए न्यूयॉर्क कन्वेंशन लागू होता है और ऐसे क्षेत्रों में से एक में होता है। और छठा, यह ऐसे क्षेत्रों में से एक में बनाया जाना चाहिए जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा उन क्षेत्रों के रूप में घोषित करती है जिन पर न्यूयॉर्क कन्वेंशन लागू होता है। [ पैरा 29] [986-जी-एच; 987-ए-बी]

विद्या द्रोलिया बनाम। दुर्गा ट्रेडिंग कार्पोरेशन। , ( 2021 ) 2 एससीसी 1; आर. एम. निवेश और व्यापार कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम बोइंग कं. (1994) 4 एससीसी 541 [1994] 1 एससीआर 837 संदर्भित

को।

1.2 जैसा कि सीमांत नोट इंगित करता है, धारा 47 में प्रावधान है कि विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए पूर्व-आवश्यकताएं हैं: ( 1 ) मूल पुरस्कार या उसकी एक प्रति में विधिवत प्रमाणित

जिस देश में यह बनाया गया है, उस देश के कानून द्वारा आवश्यक तरीके से; (2) मध्यस्थता के लिए मूल समझौता या विधिवत प्रमाणित प्रति। (3) ऐसा साक्ष्य जो यह साबित करने के लिए आवश्यक हो कि पुरस्कार एक विदेशी पुरस्कार है। धारा 47 न्यूयॉर्क समझौते के अनुच्छेद IV पर आधारित है जो मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की अनुसूची I में निहित है। [ पैरा 34,35] [988-सी-ई]

गैरी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता B.Born (वोल्टर्स क्लूवर, दूसरा संस्करण, 2014)-संदर्भित।

1.3 धारा 47 की उप-धारा (1) की सभी अपेक्षाएं प्रक्रियात्मक प्रकृति की हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि लागू करने वाला न्यायालय सबसे पहले यह संतुष्ट होना चाहिए कि यह वास्तव में एक विदेशी पुरस्कार है, जैसा कि परिभाषित किया गया है, और यह उन व्यक्तियों के खिलाफ लागू करने योग्य है जो पुरस्कार से बंधे हैं। प्रस्तुतिकरण जो यह साबित करने के लिए कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता

मध्यस्थता समझौते को केवल लागू करने वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य पर उक्त समझौते में शामिल किया जा सकता है कि क्या गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी पक्ष के तहत दावा करता है या अन्यथा अहंकार को बदलने के सिद्धांत से प्रभावित है। कम से कम कहें। धारा 47 (1) (सी) प्रक्रियात्मक प्रकृति की होने के कारण यह साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य की आवश्यकता की सीमा तक नहीं जाती है कि मध्यस्थता समझौते के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता [2021] 7 एस. सी. आर. द्वारा बाध्य हो सकता है।

विदेशी पुरस्कार। वास्तव में, धारा 47 (1) (सी) केवल साक्ष्य की बात करती है जो यह साबित करने के लिए आवश्यक हो सकता है कि पुरस्कार एक

विदेशी पुरस्कार। इस खंड में केवल छह का संदर्भ है एक विदेशी पुरस्कार की सामग्री जो परिभाषित की गई है, जो परिभाषा खंड, अर्थात् धारा 44 में निहित हैं।

समझौता। इसके अलावा, अपेक्षित केंद्र सरकार की अधिसूचना धारा 47 (1) (सी) के तहत प्रस्तुत की जा सकती है, ताकि धारा 44 (बी) संतुष्ट हो जाए। यह प्रस्तुत करना कि प्रमाण का भार उस पर है पुरस्कार को लागू करने वाला व्यक्ति और यह कि इस बोझ का निर्वहन केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो सकारात्मक रूप से यह दिखाने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करता है कि मध्यस्थता समझौते के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता द्वारा बाध्य किया जा सकता है

एक विदेशी पुरस्कार धारा 47 (1) (सी) के बाहर है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [ पैरा 37] [989-एफ-एच; 990-ए-डी]

यथासंभव, वही तर्क धारा 48 पर लागू होगा, जिसके परिणामस्वरूप धारा 48 में "सबूत" अभिव्यक्ति का अर्थ केवल "मध्यस्थ न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड के आधार पर स्थापित" और ऐसे अन्य मामले होंगे जो धारा 48 में निहित आधारों के लिए प्रासंगिक हैं। न्यूयॉर्क कन्वेंशन, जिसे हमारे अधिनियम ने अपनाया है, में प्रवर्तन के पक्ष में पूर्वाग्रह है, और जब तक कोई पक्ष यह दिखाने में सक्षम नहीं है कि इसका मामला धारा 48 (1) या 48 (2) के भीतर स्पष्ट रूप से आता है, तब तक विदेशी पुरस्कार को लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आधार शामिल हैं धारा 48 (1) (ए) से (ई) तक का अर्थ व्यापक रूप से नहीं बल्कि संकीर्ण रूप से लगाया जाना चाहिए। [ पैरा 38-40] [990-ई-एफ; 992-ए-सी] जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर।

सांगयोंग एंग। & कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम एनएचएआई ( 2019 ) 15 एससीसी 131: [ 2019 ] 7 एस. सी. आर. 522-निर्भर।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बनाम गिरधर सोंधी

( 2018 ) 9 एससीसी 49: [ 2018 ] 10 एस. सी. आर. 937; विजय करिया बनाम प्रिस्मियन कवि ई सिस्टेमी एसआरएल (2020) 11 एससीसी 1: [ 2020 ]

4 एस. सी. आर. 336-संदर्भित।

1.5 यदि शाब्दिक रूप से पढ़ा जाए, तो धारा 48 (1) (ए) केवल पक्षों की बात करती है।

समझौता किसी असमर्थता के अधीन है, या समझौता उस कानून के तहत अमान्य है जिसके अधीन पक्षों ने इसे किया है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि समझौते का एक गैर-पक्ष यह आरोप लगाते हुए कि यह इस तरह के समझौते के तहत दिए गए पुरस्कार से बाध्य नहीं हो सकता है,

44 ( ए)। इस प्रकार, "व्यक्ति" शब्द का प्रयोग करके समझौते में गैर-पक्षों को शामिल करना अभिव्यक्ति के विपरीत होगा। धारा 48 (1) (ए) की भाषा, जब धारा 44 के साथ पढ़ी जाती है। साथ ही, यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन आधारों को व्यापक रूप से नहीं माना जा सकता है।

व्याख्या की। आधार अपने आप में विशिष्ट हैं, और केवल पक्षों की अक्षमता और उस कानून के तहत अमान्य होने के समझौते की बात करते हैं जिसके अधीन पक्षों ने इसे किया है। गैर-पक्षों को इस मैदान के भीतर लाने का प्रयास करना एक वर्ग को फिट करने का प्रयास करना है।

एक गोल छेद में खूंटी। इस तथ्य के अलावा कि धारा 48 (1) (ए) को एकल न्यायाधीश या डिवीजन के समक्ष नहीं रखा गया था। उच्च न्यायालय की पीठ। [ पैरा 42,43] [996-जी-एच; 997-ए-सी]

1.6 धारा 48 (1) (ए) पर निष्कर्ष को देखते हुए जब मध्यस्थता अधिनियम 1996 की धारा 44 के साथ पढ़ा जाता है, तो इसका पालन नहीं किया जा सकता है

धारा 48 (1) (ए) के तहत किसी विदेशी पुरस्कार के बाध्यकारी होने पर गैर-हस्ताक्षरकर्ता की आपत्ति को फिट करने की कोशिश में "अंतर्राष्ट्रीय प्रथा" कहा जाता है। एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता की आपत्ति संभवतः धारा 48 (1) (ए) में फिट नहीं हो सकती है। इस समस्या पर गहराई से विचार किए बिना, शायद किसी गैर-हस्ताक्षरकर्ता के लिए स्पष्टीकरण 1 (iii) के साथ पठित धारा 48 (2) के भीतर अपने मामले को लाना एक उपयुक्त मामले में खुला हो सकता है। [ पैरा 49] [999-ई-एफ]

सांगयोंग एंग। & कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम एनएचएआई ( 2019 ) 15 एससीसी 131: [ 2019 ] 7 एस. सी. आर. 522-निर्भर।

[ 20

21 ] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डल्ला रियल एस्टेट एंड टूरिज्म कं. v. मंत्रालय

पाकिस्तान सरकार के धार्मिक मामले [2010] 3 डब्ल्यू. एल. आर. 1472; आई. एम. सी. एविएशन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड v. एल्टन खुडर एल. एल. सी. [2011] वी. एस. सी. ए. 248; एलो वेरा ऑफ अमेरिका, आई. एन. सी. बनाम। एशियन फूड (एस) पीटीई लिमिटेड और एएनआर। [ 2006 ] एसजीएचसी 78

- संदर्भित किया गया।

1.7 तत्काल मामले के तथ्यों में, इस न्यायालय को धारा 48 (1) (ए) को लागू करने की आड़ में जो करने के लिए कहा जा रहा है, वह वास्तव में गुण-दोष पर समीक्षा करने के लिए है। परिवर्तन का अनुप्रयोग

डेलावेयर कानून के तहत अहंकार सिद्धांत मुख्य रूप से तथ्यों पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मध्यस्थ द्वारा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को लागू करने पर निर्भर करेगा। यह उन्होंने न केवल दस्तावेजी साक्ष्य का विज्ञापन करके किया है, बल्कि आई. एस. एस., डी. एम. सी. के एम. डी. और डी. एम. सी. के अध्यक्ष के मौखिक साक्ष्य का भी प्रचार किया है। इस तथ्य को देखते हुए कि विदेशी पुरस्कार कारण देता है

इस मामले में तथ्यों को अहंकार परिवर्तन सिद्धांत को लागू करने के लिए, इन तथ्यों को फिर से समझना संभव नहीं होगा, विशेष रूप से जब धारा में बनाए गए आधारों को स्थापित करने का बोझ अपीलार्थियों पर है। 48 ( 1 ) , जिनमें से कोई भी मामले के गुण-दोष पर नहीं जाता है। [ पैरा 57] [1005 सी-ई]

1.8 भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में एक पुरस्कार को अलग रखने के आधार के रूप में विकृति अब मध्यस्थता अधिनियम, 1996 में 2015 के संशोधन के बाद प्राप्त नहीं होती है। अधिनियम की धारा 48 में भी अधिनियम की धारा 34 की तरह ही संशोधन किया गया है। "पेटेंट अवैधता प्रकट होने" का आधार

इसके दायरे में, धारा 34 के तहत एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में एक पुरस्कार को अलग करने के लिए एक आधार के रूप में "एक पुरस्कार की विकृति", और धारा 48 के तहत एक विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन से इनकार करने के लिए एक आधार के रूप में, एक समान सामग्री प्रावधान है। जो अधिनियम के भाग 2 में दिखाई देता है। [ पैरा 58,59] [1005-ई-एफ; 1006 सी-ई]

सांगयोंग एंग। & कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम एनएचएआई

( 2019 ) 15 एससीसी 131: [ 2019 ] 7 एस. सी. आर. 522 पर भरोसा किया।

जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर।

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करना, या इसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुतियों के दायरे से परे मामलों पर निर्णय शामिल हैं। यह देखते हुए कि तथ्य यह है कि 'मध्यस्थता के लिए समर्पण' अभिव्यक्ति का उल्लेख होगा

मध्यस्थता को अलग किया जा सकता है, जिससे यह फिर से पता चलता है कि प्रावधान का जोर यह है कि क्या पक्षों के बीच विवाद उदाहरण के लिए अपवादात्मक मामले हैं, या अन्यथा बाहर हैं। मध्यस्थता समझौते का दायरा। [ पैरा 60] [1006-ई-एच]

सांगयोंग एंग। & कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम एनएचएआई

( 2019 ) 15 एससीसी 131: [ 2019 ] 7 एससीआर 522; ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर्स (पी) लिमिटेड v. मीना विजय खेतान (1999)

5 एससीसी 651: [ 1999 ] 3 एस. सी. आर. 490-संदर्भित।

अमेरिका के एलो वेरा, इंक. बनाम। एशियन फूड (एस) पीटीई लिमिटेड और

एन. आर. [ 2006 ] एस. जी. एच. सी. 78-संदर्भित।

1.10 यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि पुरस्कार में शामिल हैं

और यह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होगा, 'कारण' प्राकृतिक न्याय का एक हिस्सा है जैसा कि इस देश में समझा जाता है, धारा 48 (1) (बी) का जिक्र करते हुए। धारा 48 (1) (बी) मध्यस्थता निर्णय में कारणों के अभाव की बात बिल्कुल नहीं करती है। एकमात्र आधार जिसके आधार पर विदेशी पुरस्कार को लागू नहीं किया जा सकता है। 48 ( 1 ) ( ख) स्वाभाविक न्याय आधार हैं जो मध्यस्थ की नियुक्ति की सूचना से संबंधित हैं या

माध्यस्थम कार्यवाही, या कि कोई पक्ष अन्यथा माध्यस्थम न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ था, जो सभी निर्णय देने से पहले की घटनाएँ हैं। [ पैरा 63] [1011-ई-जी]

विजय करिया बनाम। प्रिस्मियन कवि ई सिस्टेमी एसआरएल (2020) 11

एससीसी 1: [ 2020 ] 4 एस. सी. आर. 336-संदर्भित।

21 ] 7 एस सी आर।



तत्काल मामले में अपकृत्य में नुकसान दिए गए थे, वे मध्यस्थता के दायरे से बाहर होंगे, समझौता नहीं किया जा सकता है स्वीकार कर लिया। [ पैरा 66,67,70] [1013-बी-ई; 1018-सी]

रेनुसागर पावर कं. लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कं.

( 1984 ) 4 एससीसी 679: [ 1985 ] 1 एस. सी. आर. 432; तारापुर एंड कंपनी बनाम। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (1984) 2 एससीसी 680: [ 1984 ]

3 एस. सी. आर. 118 संदर्भित है।

पनामा बनाम के एस्ट्रो वेंसेडर कम्पानिया नेवेरा एस. ए. माबानाफ्ट जीएमबीएच [(1971) 2 क्यूबी 588-संदर्भित।

1.12 यह प्रस्तुत किया गया था कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 35 और 46 के बीच तुलना से पता चलेगा कि

विधायिका ने धारा 46 के तहत लागू करने वाले न्यायालय की शक्ति को उन व्यक्तियों के लिए सीमित कर दिया जो विदेशी पुरस्कार से बंधे हैं, जबकि व्यक्तियों में 'उनके तहत दावा करने वाले व्यक्ति' शामिल होंगे और इसलिए, एक विदेशी पुरस्कार केवल पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा न कि दूसरों के लिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, धारा 46 "पक्षों" की बात बिल्कुल नहीं करती है, बल्कि "व्यक्तियों" की बात करती है जो मध्यस्थता समझौते के गैर-हस्ताक्षरकर्ता हो सकते हैं। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 35 एक मध्यस्थता पुरस्कार के संदर्भ में "व्यक्तियों" के बारे में बात करती है जो क्रमशः "पक्षों" और "उनके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों" के लिए अंतिम और बाध्यकारी है। इसलिए, धारा 35 केवल पक्षों के तहत दावा करने वाले व्यक्तियों को संदर्भित करेगी और इसलिए, धारा 46 की तुलना में इसके आवेदन में अधिक प्रतिबंधात्मक है जो बिना किसी प्रतिबंध के "व्यक्तियों" की बात करती है। इसके अलावा, तत्काल मामले में डिवीजन बेंच के फैसले से एक और महत्वपूर्ण पहेली पैदा होती है। डिवीजन बेंच का फैसला डेलावेयर कानून को स्वयं को संतुष्ट करने के लिए लागू किया गया कि इस तरह के कानून का वास्तव में अहंकार परिवर्तन सिद्धांत को सही ढंग से लागू करने के लिए पालन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी पुरस्कार को बरकरार रखना होगा। यह तरीका पूरी तरह से गलत है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, धारा 48 में ऐसा नहीं है

विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन का विरोध करने के लिए कोई भी आधार शामिल है जो इस बात पर आधारित है कि विदेशी पुरस्कार पक्षों द्वारा सहमत मूल कानून के विपरीत है और जिसे उसे अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में लागू करना है। वास्तव में, क्या पुरस्कार कानून में सही है (डेलावेयर कानून को लागू करते हुए), प्रासंगिक होगा यदि इस तरह के किसी भी प्रकार के जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर।

पुरस्कार को उस राज्य में अलग रखा जाना था जिसमें इसे बनाया गया था और वह भी यदि ऐसी कानून इस आधार पर हस्तक्षेप की अनुमति देती है कि मध्यस्थता पुरस्कार ने समझौते के मूल कानून का उल्लंघन किया था। इस मामले में मध्यस्थता पुरस्कार को मिसौरी राज्य में चुनौती नहीं दी गई थी। इसलिए, इस तर्क में खंड पीठ का हस्तक्षेप पूरी तरह से गलत है। [ पैरा 71] [1018-डी-एच; 1019-ए-बी]

इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड बनाम वेसकेयर (इंडिया) लिमिटेड (2010) 5 एस. सी. सी. 206 [2010] 5 एस. सी. आर. 284; क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया ( पी) लिमिटेड बनाम। सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरीफिकेशन इंक. (2013) 1 एससीसी 641: [ 2012 ] 13 एस. सी. आर. 402; चेरन प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम कस्तूरी एंड संस लिमिटेड (2018) 16 एस. सी. सी. 413: [ 2018 ] 4 एस. सी. आर. 1063-संदर्भित।

1.13 वास्तव में, यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता भारत में आयोजित की जानी थी, तो धारा 28 (1) (बी) यह मानती है कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण पक्षकारों द्वारा निर्दिष्ट कानून के नियमों के अनुसार विवाद का फैसला कर सकता है जो भारत में लागू होते हैं।

विवाद का सार, जिसका बदले में, उस देश के मूल कानून के साथ सीधा संबंध है, जिसके कानून लागू होते हैं। धारा 34 के समान सामग्री प्रावधानों में इस आधार पर इस तरह के निर्णय को दरकिनार करने का कोई आधार नहीं है कि उस देश के मूल कानून का उल्लंघन किया गया है। वास्तव में, एकमात्र आधार जिस पर इस तरह के पुरस्कार में संभवतः हस्तक्षेप किया जा सकता है, वह यह है कि यदि ऐसा पुरस्कार, जो उस कानून के तहत मान्य है, जिसे उसने लागू किया है, को भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत माना जा सकता है। [ पैरा 72] [1019-बी-डी]

गैरी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता B.Born

( वोल्टर्स क्लूवर, दूसरा संस्करण, 2014)-संदर्भित।

1.14 अंतिम तर्क कि जो नुकसान किसी भी आधार पर नहीं दिए गए हैं, वे फिर से धारा 48 (1) में निहित किसी भी अपवाद के अंतर्गत नहीं आएंगे। आकर्षित करने के लिए स्पष्टीकरण 1 (iii) के साथ पठित धारा 48 (2), यह केवल असाधारण मामलों में है जिसमें न्याय का कुछ बुनियादी उल्लंघन शामिल है जो झटका देता है।

न्यायालय की अंतरात्मा कि ऐसी याचिका पर विचार किया जा सकता है। मध्यस्थ ने सही ढंग से अभिनिर्धारित किया कि चूंकि किसी भी अपीलार्थी की ओर से कुछ भी सामने नहीं आ रहा है, इसलिए उसे हर्जाने के लिए सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन करना होगा। उस मूल्यांकन को करने में, उन्होंने [2021] 7 एस. सी. आर. लिया।

डी. एम. सी. के दो ग्राहकों से जी. बी. टी. द्वारा अर्जित किए जा रहे कमीशन को ध्यान में रखते हुए और प्रति माह 100,000 यू. एस. डी. के आंकड़े पर पहुंचे और फिर एक उचित अनुमान पर पाया कि वे चार साल की अवधि तक ग्राहक बने रहेंगे।

जिनमें से 6,948,100 USD का आंकड़ा पहुँच गया था। कि इस तरह के 'अनुमान' अमेरिका और अन्य सामान्य कानून परंपरा वाले देशों में नुकसान के कानून के लिए एक अजनबी नहीं हैं। [ पैरा 74-76] [1021 B-C; 1021-F-H]

( 2019 ) 15 एससीसी 131: [ 2019 ] 7 एस. सी. आर. 522-पर निर्भर। फ्रेडरिक थॉमस किंग्सले बनाम। राज्य सचिव

भारत के लिए ए. आई. आर. 1923 कैल 49-संदर्भित।

1.15 इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि डी. एम. सी. के अध्यक्ष और एम. डी. की साजिशों के परिणामस्वरूप, जैसा कि पाया गया है

मध्यस्थ न्यायाधिकरण, आई. एस. एस. को प्रतिनिधित्व समझौते के तहत इसके कारण वैध रूप से कमीशन से वंचित कर दिया गया था। ऐसा होने के कारण, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि वास्तविक नुकसान आईएसएस को हुआ था। किसी भी मामले में, इस मामले के तथ्यों में इस तरह से दिए गए नुकसान को इस न्यायालय की अंतरात्मा को झटका देने के लिए भी नहीं कहा जा सकता है ताकि धारा 48 (2) स्पष्टीकरण (1) (iii) में निहित "न्याय की मूल धारणा" के आधार पर पकड़ बनाई जा सके। [ पैरा 79,80] [1023-सी-डी]

एग्रीट्रेड इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड बनाम राष्ट्रीय कृषि सहकारी समिति। एमकेटीजी। फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (2012) एससीसी

ऑनलाइन डेल 896-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

( 2021 ) 2 एससीसी 1

पैरा

30

संदर्भित किया गया है

[ 1994 ] 1 एससीआर 837

संदर्भित किया गया है

पैरा

33

[ 2018 ] 10 एससीआर 937

संदर्भित किया गया है

पैरा

38

[ 2019 ] 7 एससीआर 522

पैरा

40,49,

उस पर भरोसा करें

59 ,

60 , 74

( 2020 ) 11 एससीसी 1

पैरा

41

संदर्भित किया गया है

[ 1999 ] 3 एससीआर 490

संदर्भित किया गया है

पैरा 60 जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर।

[ 1985 ] 1 एससीआर 432

संदर्भित किया गया है

पैरा

67

[ 1984 ] 3 एससीआर 118

संदर्भित किया गया है

पैरा

68

[ 2010 ] 5 एससीआर 284

संदर्भित किया गया है

पैरा

71

[ 2012 ] 13 एससीआर 402

संदर्भित किया गया है

पैरा

71

[ 2018 ] 4 एससीआर 1063

संदर्भित किया गया है

पैरा

71

ए. आई. आर. 1923 कैल 49

पैरा

76

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 8343

8344 2018 से।

उच्च न्यायालय के 04.01.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 की मध्यस्थता अपील सं. 3 में बॉम्बे, नागपुर पीठ, नागपुर में न्यायिक कार्य।

के साथ

2018 की सिविल अपील Nos.8345-8346।

के. वी. विश्वनाथन, हरीश एन. साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , कुबेर दीवान,

शरत संपत, माणिक्य खन्ना, अपूर्व सिंघल, प्रत्यक्ष शर्मा, आदित्य कृष्णा, सुश्री अनुराधा दत्त, सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, विल्सन मैथ्यू, सुश्री सुमन यादव, सुश्री तृषा रायचौधरी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

आरिफ बुकवाला, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गगन सांघी, देवेंद्र वी. चौहान,

एम. भरत, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. ये अपीलें भाग II से संबंधित दिलचस्प सवाल उठाती हैं।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ["मध्यस्थता अधिनियम, 1996"] जो अन्य बातों के साथ मान्यता और प्रवर्तन से संबंधित है

विदेशी पुरस्कार। इन अपीलों में उठाए गए बिंदुओं की सराहना करने के लिए आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं।

2. 18 सितंबर, 2000 को एक प्रतिनिधित्व समझौता हुआ था

इंटीग्रेटेड सेल्स सर्विसेज लिमिटेड ["आईएसएस"/उत्तरदाता संख्या 1], हांगकांग में स्थित एक कंपनी और डीएमसी प्रबंधन के बीच प्रवेश किया।

कंसल्टेंट्स लिमिटेड ["डी. एम. सी".], भारत में पंजीकृत एक कंपनी है, जिसका प्रमुख व्यावसायिक पता नागपुर में है। इस समझौते के अनुसार, आई. एस. एस. को डी. एम. सी. को अपनी वस्तुओं और सेवाओं को संभावित ग्राहकों को बेचने में सहायता करनी थी, और [2021] 7 एस. सी. आर.

इसके पक्ष में कमीशन प्राप्त करना था। प्रासंगिक खंड ई समझौता खंड 2 और 3 हैं जो निम्नानुसार हैं:

भावी ग्राहकों के लिए वस्तुएँ और सेवाएँ। दूसरा, कहाँ कंपनी को स्वीकार्य, निवेश और निवेशकों के संभावित स्रोतों की पहचान करें, और इन शर्तों पर बातचीत करने में कंपनी की सहायता करें -

खरीद, बिक्री और/या निवेश।

3. वैधता

इस समझौते के तहत प्रतिनिधित्व का अधिकार सीमित नहीं है

समय। क्षतिपूर्ति देय प्रतिनिधि है जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है

" भुगतान "इसके बाद। हालांकि, अगर कंपनी को पता चलता है प्रतिनिधि के असंतोषजनक होने के प्रयास, यह बताएगा कि

विशिष्ट और उचित दिशानिर्देशों के साथ लिखना जो, यदि

छह महीने के भीतर पूरा किया जाना संतोषजनक होगा। प्रदर्शन, यदि प्रतिनिधि पर्याप्त रूप से संतुष्ट करने में असमर्थ है

ये दिशानिर्देश, तब कंपनी इस समझौते को रद्द कर सकती है

तुरंत। हालांकि, मौजूदा या संभावित के लिए मुआवजा

प्रतिनिधि द्वारा पहचाने गए ग्राहक, उसके अनुसार जारी रहेंगे।

नीचे दिए गए भुगतान खंड के लिए "।

3. देय कमीशन को तब खंड 4 में संदर्भित किया जाता है। खंड 8 (घ) के तहत आदेश जो "सामान्य" है, निम्नलिखित रूप में कहता है:

( घ) व्याख्या, संशोधन, कानून, मध्यस्थता और समनुदेशन ( i) यह समझौता मिसौरी राज्य के कानूनों के अधीन है,

अमेरिका. ए.

( ii) इस समझौते के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, इस तरह के विवाद को कैनसस सिटी में एकल मध्यस्थ को भेजा जाएगा।

मिसौरी, यू. एस. ए. के बीच समझौते द्वारा नियुक्त किया जाएगा

अमेरिकी मध्यस्थता संघ के नियमों के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले पक्षकार या असफल समझौता, वही नियम जिनके तहत कोई भी विवाद जिसका कोई भी विवाद तय किया जाएगा।

( iii) यदि कोई विवाद मध्यस्थता के लिए प्रतिबद्ध है, तो दोषी समझा जाने वाला पक्ष मध्यस्थता की पूरी लागत की प्रतिपूर्ति करेगा और

पीड़ित पक्ष को कानूनी प्रक्रिया।

( (iv) समझौते में इसके अलावा किसी अन्य तरीके से संशोधन नहीं किया जाएगा।

दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित समझौते द्वारा।

जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

4. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस समझौते पर डी. एम. सी. के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री रतन पाठक और श्री रतन पाठक ने हस्ताक्षर किए थे।

टेरी पीट, आईएसएस के निदेशक। हालाँकि यह समझौता 18 सितंबर, 2000 को किया गया था, लेकिन यह 3 अक्टूबर, 2000 को लागू हुआ। ए प्रथम।

इस प्रतिनिधित्व समझौते में संशोधन उपरोक्त पक्षों के बीच किया गया था, जिस पर डीएमसी की ओर से श्री अरुण देव उपाध्याय [सीए नंबर 8345-8346/2018 में अपीलार्थी] और आईएसएस की ओर से टेरी पीट ने हस्ताक्षर किए थे। हम इस पहले संशोधन द्वारा किए गए परिवर्तनों से सीधे तौर पर चिंतित नहीं हैं, सिवाय इसके कि अरुण देव उपाध्याय, जो हमसे पहले अपीलकर्ताओं में से एक थे, डीएमसी की ओर से हस्ताक्षरकर्ता थे। इसी तरह, 1 जनवरी, 2008 को एक दूसरा संशोधन समझौता किया गया था, जो फिर से 3 अक्टूबर, 2000 से प्रभावी था, जिसमें मूल प्रतिनिधित्व समझौते में विभिन्न संशोधन किए गए थे।

हम इस संशोधन के उपखंड (4) से संबंधित हैं, जो इस प्रकार हैः -

4. समझौते के खंड 8 (डी) (1) के संशोधन में, यह समझौता डेलावेयर राज्य, यू. एस. ए. के कानूनों के अधीन है और इसमें किसी भी अन्य खंड की समाप्ति से बचेगा।

संशोधन।

5. पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए, जिसके परिणामस्वरूप आईएसएस द्वारा 22 जून, 2009 को अरुण देव उपाध्याय को मध्यस्थता के लिए एक नोटिस भेजा गया था। अंततः 22 जून, 2009 का दावा विवरण था - अरुण देव उपाध्याय, डी. एम. सी. (भारत), डी. एम. सी. ग्लोबल (मॉरीशस में पंजीकृत कंपनी), जेमिनी बे कंसल्टिंग लिमिटेड (ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में पंजीकृत कंपनी) और जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन प्राइवेट लिमिटेड [सी. ए. संख्या में "जी. बी. टी"./अपीलार्थी] को प्रतिवादी के रूप में नामित करते हुए विद्वान मध्यस्थ के समक्ष दायर किया गया। दावे का बयान इस प्रकार हैः -

6. डी. एम. सी. प्रबंधन सलाहकार, अध्यक्ष (उपाध्याय) और/या अपने परिवार के माध्यम से, बदले में डी. एम. सी. ग्लोबल के सभी स्टॉक का स्वामित्व या नियंत्रण करते हैं, जिसने मध्यस्थता के समझौते सहित नीचे निर्दिष्ट समझौते के तहत डी. एम. सी. प्रबंधन सलाहकारों के दायित्वों को ग्रहण किया है; और अध्यक्ष

डी. एम. सी. ग्लोबल की गतिविधियों को नियंत्रित और हावी करता है। डी. एम. सी. प्रबंधन सलाहकारों और अध्यक्ष दोनों ने डी. एम. सी. ग्लोबल के निगमित रूप की अवहेलना करते हुए इसमें शिकायत की गई गलतियों को इस तरह से और इस हद तक प्रभावित किया है कि डी. एम. सी.

वैश्विक को इस मध्यस्थता के लिए एक पक्ष के रूप में बाध्य होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. जेमिनी बे कंसल्टिंग लिमिटेड ("जी. बी. सी".) ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में गठित एक कंपनी है, जिसका स्वामित्व और/या नियंत्रण और प्रभुत्व अध्यक्ष के पास है, जिन्होंने इसके निगम की उपेक्षा की है। इसमें शिकायत की गई गलतियों को प्रभावित करने के लिए फॉर्म, और जी. बी. सी. का उपयोग अध्यक्ष द्वारा डी. एम. सी. प्रबंधन सलाहकारों और डी. एम. सी. ग्लोबल के निरंतरता निगम के रूप में किया गया है।

आई. एस. एस. से धन को इस तरह से और इस हद तक डायवर्ट करना कि जी. बी. सी. इस मध्यस्थता के लिए एक पक्ष के रूप में बाध्य हो।

8. जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन प्राइवेट लिमिटेड ("जीबीटी") एक कंपनी है।

भारत में गठित, अध्यक्ष के समान पते पर एक पंजीकृत कार्यालय के साथ, जिसका स्वामित्व और/या नियंत्रण और प्रभुत्व अध्यक्ष के पास है, जिन्होंने इसके निगम की अवहेलना की है। इसमें शिकायत की गई गलतियों को प्रभावित करने के लिए प्रपत्र, और जीबीटी का उपयोग अध्यक्ष द्वारा डीएमसी प्रबंधन सलाहकारों और डीएमसी ग्लोबल के निरंतर निगम के रूप में किया गया है ताकि आईएसएस से धन को इस तरह से और इस हद तक डायवर्ट किया जा सके कि जीबीटी इस मध्यस्थता के लिए एक दंड के रूप में बाध्य हो।

XXX XXX XXX

13. जैसे-जैसे संबंध विकसित हुए, दावेदार आई. एस. एस. ने प्रतिनिधि के रूप में कंपनी के लिए दो महत्वपूर्ण "पी. सी". ग्राहकों को लाया, जिनकी पहचान माउंट के मेडक्विस्ट ट्रांसक्रिप्शन लिमिटेड के रूप में की गई। लॉरेल, न्यू जर्सी ( " मेडक्विस्ट), और लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया के असिस्टमेड, इंक. ("असिस्टमेड") (कभी-कभी इसके बाद सामूहिक रूप से "ग्राहक" के रूप में संदर्भित)। आईएसएस ने कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया

ग्राहकों के साथ।

14. प्रतिनिधित्व समझौते की मूल शर्तों के तहत, आईएसएस को इन ग्राहकों से कंपनी को सकल राजस्व का 20 प्रतिशत कमीशन प्राप्त करना था, जब तक कि वे ग्राहक बने रहते हैं। 15. आई. एस. एस. और उत्तरदाताओं के बीच संबंधों के दौरान, आई. एस. एस. के प्रमुख प्रतिनिधि टेरी पीट रहे हैं, जो कैनसस सिटी, मिसौरी के निवासी हैं।

16. इसी अवधि के दौरान, डी. एम. सी. प्रबंधन सलाहकार और डी. एम. सी. ग्लोबल के प्रमुख प्रतिनिधि रहे हैं अध्यक्ष, प्रत्यर्थी अरुण देव उपाध्याय।

इस संबंध में, आई. एन. आई. बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

अध्यक्ष ने व्यापार और व्यक्तिगत कारणों से भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका की नियमित यात्राएं की हैं, प्रति वर्ष लगभग 4 यात्राएं की हैं। 17. उन यात्राओं में आईएसएस प्रतिनिधि टेरी के साथ व्यापार करने के लिए कैनसस सिटी, मिसौरी की कम से कम चार यात्राएं शामिल हैं।

पीट, इस मध्यस्थता के विषय के संबंध में। इसलिए, उन्होंने जानबूझकर इस अधिकार क्षेत्र का लाभ उठाया है, और कैनसस सिटी, मिसौरी में इस मध्यस्थता में उनकी भागीदारी की आवश्यकता न्याय और निष्पक्ष खेल की पारंपरिक या संवैधानिक धारणाओं को आहत नहीं करती है।

XXX XXX XXX

30. 18 सितंबर, 2000 से लगभग 30 जून, 2008 तक दोनों पक्षों के बीच संबंध सहमति से आगे बढ़े। आईएसएस

अपने दायित्वों का पालन करते हुए, और सूचना और विश्वास दोनों पर

डी. एम. सी. प्रबंधन सलाहकार और डी. एम. सी. ग्लोबल ने अपने दायित्वों का पालन किया।

XXX XXX XXX

38. 22 जुलाई, 2008 को, डी. एम. सी. प्रबंधन सलाहकारों ने दो "पी. सी". ग्राहकों, मेडक्विस्ट और असिस्टेड को 90 दिनों बाद ग्राहक अनुबंध को समाप्त करने के अपने इरादे के बारे में "अनुबंध समाप्ति सूचना" शीर्षक से ईमेल द्वारा सूचना दी। ( ध्यान दें कि मेडक्विस्ट के साथ ग्राहक अनुबंध पर डीएमसी ग्लोबल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन डीएमसी प्रबंधन सलाहकारों द्वारा समाप्त कर दिया गया था)। डी. एम. सी. प्रबंधन सलाहकारों ने ग्राहकों से "शुरू करने" का अनुरोध किया

रेम्पिंग डाउन प्रक्रिया अब से 15 दिन बाद और आगे 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाए।

39. डी. एम. सी. प्रबंधन सलाहकारों और डी. एम. सी. ग्लोबल द्वारा ग्राहक अनुबंधों को कथित रूप से "कम करना" वास्तव में कभी नहीं था। हुआ था। जानकारी और विश्वास पर, डी. एम. सी. प्रबंधन से धन निकालने और आई. एस. एस. को भुगतान से बचने की योजना के हिस्से के रूप में

उत्तरदाताओं ने उत्तरदाता जेमिनी बे कंसल्टेंट्स के साथ ग्राहकों द्वारा नए अनुबंधों को निष्पादित किया

( जीबीसी)। उसी समय के दौरान, अध्यक्ष ने एक नई कंपनी उत्तरदाता जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन (जीबीटी) को उस कंपनी के रूप में स्थापित किया जिसने वास्तव में दोनों पीसी के लिए काम किया।

ग्राहक, और आज भी ऐसा कर रहे हैं। डीएमसी प्रबंधन कर्मचारी सलाहकार और डीएमसी ग्लोबल दोनों के कर्मचारी जी. बी. टी. बन गया, और उसी [2021] 7 एस. सी. आर. का उपयोग करते हुए उन्हीं सुविधाओं में काम करता है।

उपकरण, और उसी प्रबंधन दल द्वारा प्रबंधित। ये दो 22 जुलाई, 2008 के ईमेल समाप्ति नोटिस एक योजना का हिस्सा थे।

उत्तरदाताओं द्वारा व्यवसाय को ग्राहक से हटाने के लिए

डीएमसी प्रबंधन सलाहकारों और डीएमसी से अनुबंध दूर

वैश्विक से जी. बी. सी. और जी. बी. टी.।

41. ऐसा करने का प्राथमिक उद्देश्य अनुबंध से बचना था।

प्रतिनिधित्व के तहत उत्तरदाताओं के दायित्व

आई. एस. एस. से अर्जित राजस्व के लिए अपने कमीशन का भुगतान करने के लिए समझौता

इन ग्राहकों को।

44. अध्यक्ष ने कंपनियों को अपने अहंकार के बदले के रूप में इस्तेमाल किया, और उन्होंने अपने अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डी. एम. सी. प्रबंधन सलाहकारों और डी. एम. सी. ग्लोबल दोनों के कॉर्पोरेट रूपों की अनदेखी की। प्रतिनिधित्व समझौते का उल्लंघन।

6. इन अभिकथनों के आधार पर, खोए हुए आयोगों की गणना के आधार पर नुकसान का दावा किया गया थाः

64. जानकारी और विश्वास के आधार पर, 22 अक्टूबर, 2008 से "पीसी" ग्राहकों द्वारा उत्तरदाताओं को भुगतान किया जा रहा राजस्व, इस दर पर जारी रखें कि 22 अक्टूबर, 2008 से अवधि के लिए प्रतिनिधित्व समझौते के तहत देय आयोग,

यह लगभग 100,000 डॉलर प्रति माह है।

65. जानकारी और विश्वास पर, खोए हुए कमीशन की राशि, अतीत, वर्तमान और भविष्य में होने के लिए यथोचित रूप से निश्चित है,

22 अक्टूबर, 2008 की समाप्ति तिथि के बाद 48 महीनों की अवधि के लिए प्रति माह $100,000 की दर से निर्धारित किया गया, कुल $48 लाख बकाया है और आई. एस. एस. से देय होने के लिए

उत्तरदाता अपने अनुबंध के उल्लंघन के कारण। 7. इसके बाद यह कहा गयाः

[ आईएनआई बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

74. इस मध्यस्थता में प्रतिनिधित्व समझौते और डेलावेयर के कॉर्पोरेट कानून के अनुसार अपने दावे करके, दावेदार आईएसएस नहीं कर रहा है, और इसके द्वारा विशेष रूप से आरक्षित हैः ( (i) सभी दावे

जो भविष्य में प्रतिनिधित्व के तहत उत्पन्न हो सकता है

समझौता, आयोगों के लिए जो ऊपर वर्णित के अलावा किसी अन्य तरीके से देय हो सकते हैं, और (ii) किसी भी अतिरिक्त अधिकार, स्वामित्व, ब्याज और अन्य मामलों के लिए सभी दावे आई. एस. एस. किसी अन्य समय या किसी अन्य मंच पर इनमें से किसी भी उत्तरदाता के खिलाफ अत्याचार, धोखाधड़ी, अपमानजनक आचरण या संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी कानून के तहत किसी अन्य गलत आचरण के आधार पर कर सकता है। भारत। मॉरीशस, या कोई अन्य क्षेत्राधिकार, चाहे न्यायसंगत राहत के लिए, प्रतिपूरक

नुकसान, दंडात्मक या अनुकरणीय नुकसान, नैतिक नुकसान, या अन्यथा।

8. दावे के इस बयान पर, जी. बी. टी. और देव उपाध्याय द्वारा आपत्तियां दायर की गईं, जिसमें उपरोक्त सभी कथनों का खंडन किया गया था। जबकि, जी. बी. टी. द्वारा आई. एस. एस. के खिलाफ सिविल जज, आर डिवीजन, नागपुर के समक्ष निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ एक मुकदमा दायर किया गया थाः -

( i) वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों, उनके एजेंट, सेवकों और उनके माध्यम से या उनके तहत दावा करने वाले अन्य सभी व्यक्तियों के खिलाफ घोषणा की डिक्री पारित करें, जिसमें घोषणा की जाए कि मध्यस्थता प्रतिवादी संख्या 1 और के बीच किया गया समझौता

प्रतिवादी संख्या 3, वादी और इसलिए प्रतिवादी संख्या के खिलाफ बाध्यकारी या प्रवर्तनीय नहीं है। 1 & 2 मुकदमा नहीं चला सकते/आगे नहीं बढ़ सकते

वादी या वादी के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी कार्यवाही के साथ, किसी भी तरह से,

वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्य और परिस्थितियाँ;

( (ii) वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों, उनके एजेंट, सेवकों और उनके माध्यम से या उनके अधीन दावा करने वाले अन्य सभी व्यक्तियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करें।

मुकदमा चलाना या कार्यवाही करना या किसी भी मध्यस्थता को जारी रखना तथाकथित मध्यस्थता के आधार पर वादी के खिलाफ कार्यवाही

प्रतिवादी संख्या 1 और के बीच किया गया समझौता

प्रतिवादी संख्या 3, वही वादी के खिलाफ बाध्यकारी या प्रवर्तनीय नहीं है, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में

और न्याय के हित में; ( iii) रुपये का आदेश पारित करें। 10,00,000 / ( केवल दस लाख रुपये) वादी के पक्ष में और [2021] 7 एस. सी. आर. के खिलाफ मुआवजे के लिए।

प्रतिवादी सं। 1 और 2, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में;

( (iv) प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमे की अधिनिर्णय लागत संख्या। 1 & 2 ;

( v) और इस तरह के आदेश/आदेश पारित करने और ऐसी अन्य राहत देने के लिए प्रसन्न रहें, जो यह माननीय न्यायालय मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे।

9. हालांकि एक अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन इसे 25 जनवरी, 2010 को खारिज कर दिया गया था।

10. 23 दिसंबर, 2009 को विद्वान मध्यस्थ ने चार मामले उठाए।

प्रारंभिक पुरस्कार निम्नलिखित रूप में जारी किया जाता हैः -

1 ) लागू कानून का निर्धारण; और

2 ) गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों पर इस न्यायाधिकरण की अधिकारिता; और

3 ) क्या तथ्य कुछ निश्चित लोगों के कॉर्पोरेट पर्दे को भेदने की गारंटी देते हैं

4 ) क्या मूल समझौते के कुछ गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष हैं इस मध्यस्थता से बाहर रखा जाना चाहिए।

केवल आई. एस. एस. और डी. एम. सी. ने संक्षिप्त विवरण दाखिल किए। डी. एम. सी. के संक्षिप्त विवरण में केवल लागू कानून के मुद्दे को संबोधित किया गया था और मध्यस्थ की कई चेतावनियों के बावजूद, अन्य उत्तरदाता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्ष मामलों पर प्रासंगिक संक्षिप्त विवरण दाखिल करने और शपथ पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे।

11. मुद्दे 1 और 2 का जवाब देते हुए कहा गया कि डेलावेयर कानून मूल कानून है जो समझौते और इसकी व्याख्या को नियंत्रित करता है। और यह कि, चूंकि न तो दावेदार और न ही प्रतिवादी ने समझौते की वैधता या मध्यस्थता खंड की वैधता को चुनौती दी,

मध्यस्थ के पास यह तय करने का अधिकार क्षेत्र है कि क्या प्रतिनिधित्व समझौते पर हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति पुरस्कार से बाध्य हो सकता है। बाकी दो मुद्दों की गहन समीक्षा और तथ्यात्मक, प्रमाणिक और दस्तावेजी साक्ष्य के विश्लेषण की आवश्यकता बताई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप इन दोनों मुद्दों पर निर्णय को "स्थगित" कर दिया गया था।

12. विद्वान मध्यस्थ ने 28 मार्च, 2010 को अपने अंतिम निर्णय में उन मुद्दों को निर्धारित किया जिनका निर्णय इस प्रकार किया जाना थाः -

आई द अनडरसिग्नेड आर्बिट्रेटर, एलेन फ्रीकॉन, (द

" न्यायाधिकरण) को आई. एस. एस. और डी. एम. सी. प्रबंधन द्वारा किए गए मध्यस्थता समझौते के अनुसार नामित किया गया है।

लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

कंसल्टेंट्स लिमिटेड, दिनांक 18 सितंबर 2000, विधिवत शपथ लेने के बाद, पक्षों को अपना मामला प्रस्तुत करने का पूरा और पूरा अवसर देने के बाद, और सभी गवाहों सहित पक्षों के सभी सबूतों और आरोपों को सुनने और समीक्षा करने के बाद। सभी दस्तावेज, प्रदर्शनात्मक साक्ष्य और प्रस्तुतियाँ

इस मामले में प्रस्तुत, इसके द्वारा निम्नानुसार पुरस्कार दें:

तय किया जाना है

1 ) क्या "अहं परिवर्तन" सिद्धांत निगम को भेदने का कारण बनता है?

पर्दा? 2 ) क्या प्रतिनिधि समझौते का उल्लंघन हुआ था और

किसके?

3 ) क्या हर्जाना दिया जाना चाहिए, और यदि उत्तर हाँ है, तो कैसे

बहुत?

13. पक्षों और किए गए दावे का वर्णन करने के बाद, अंक 1, जिसे "अहंकार को बदलने का सिद्धांत और कॉर्पोरेट घूंघट को भेदना" लिखा गया था, को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया था: -

अपने प्रसिद्ध (अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों के बीच) लेख "गैर-हस्ताक्षरकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध: एक मध्यस्थ का दुविधा "(1, बेलिंडा मैकमोहन, एड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (2009), विवरणों में कहावत शैतान अधिकांश स्थितियों में अंतर्निहित जटिल तथ्य पैटर्न में छिपा हुआ है जो मध्यस्थता खंडों के विस्तार को उचित ठहरा सकता है और मध्यस्थों को इस तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले" अन फेसो डी 'इंडिसेज "(मानदंडों का एक बंडल) पर विचार करना चाहिए।

( पृष्ठ 8 देखें)। यह पता लगाने के बाद कि डेलावेयर कानून लागू कानून था (आदेश #4 देखें), हमें डेलावेयर अदालत के उदाहरणों का पालन करना चाहिए।

चांसरी की।

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या "अहंकार परिवर्तन" सिद्धांत उसके मामले पर लागू होता है

और क्या निगमित पर्दा हटाया जाना चाहिए, हमें नियंत्रण सहित "मानदंडों के बंडल" पर विचार करना चाहिए, क्या निगमित रूप का उपयोग धोखाधड़ी करने के लिए एक मुखौटा के रूप में किया गया था, और इन घटनाओं का समय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्री उपाध्याय द्वारा डी. एम. सी. का नियंत्रण, घटनाओं का समय और उनके और श्री पाठक के बीच प्रयासों का समन्वय स्पष्ट रूप से

यह दर्शाता है कि डी. एम. सी. से जेमिनी बे में चिकित्सा व्यवसाय का हस्तांतरण केवल संयोग का परिणाम नहीं था और न ही हो सकता था। उनके संयुक्त कार्यों और संचालन ने डी. एम. सी. के निगमित रूपों के उपयोग को सुगम और व्यवस्थित किया और

मिथुन खाड़ी छल के माध्यम से एक ऐसा परिणाम प्राप्त करने के लिए, जिसने एक अन्यथा वैध और लागू करने योग्य अनुबंध को समाप्त कर दिया। श्री उपाध्याय ने डी. एम. सी. (परिवार के बहुमत के स्वामित्व वाला व्यवसाय) के व्यावसायिक संचालन को पूरी तरह से नियंत्रित किया और उनकी अल्पांश हिस्सेदारी को रोका नहीं जा सका।

(उदाहरण के लिए हमें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि श्री उपाध्याय के फैसलों की कभी समीक्षा/चुनौती नहीं दी गई थी और न ही डी. एम. सी. के निदेशक मंडल द्वारा उन पर सवाल उठाए गए थे)। श्री उपाध्याय ने जो भी निर्णय लिया, चाहे वह श्री पाठक और डी. एम. सी. बोर्ड के साथ समन्वय में हो या उनके सहयोग से, डी. एम. सी. यही करेगा और बोर्ड ने हमेशा श्री उपाध्याय की सिफारिशों के अनुरूप मतदान किया।

नतीजतन, वह एकमात्र निर्णय निर्माता थे। इसलिए श्री उपाध्याय द्वारा डी. एम. सी. का पूर्ण नियंत्रण और प्रभुत्व नहीं है।

उसकी अल्पांश हिस्सेदारी के बावजूद, संदिग्ध।

डी. एम. सी. के "प्रबंध निदेशक" के रूप में श्री पाठक की स्थिति, उन्हें कभी भी मेडक्विस्ट या असिस्टमेड के बारे में पता नहीं होता), लेकिन दोनों कंपनियों ने समान (भले ही कभी भी अस्थायी रूप से) साझा किया। कर्मचारी, पता, टेलीफोन नंबर, ई-मेल पते, एस. वी. पी., ग्राहक (मुख्य रूप से मेडक्विस्ट और असिस्टमेड), और समान ग्राहकों के साथ लगभग समान अनुबंध साझा करते थे।

उत्तरदाताओं की पुष्टि कि डी. एम. सी. की निगमित औपचारिकताओं का सम्मान किया गया था और इनमें से कुछ तथ्य केवल अस्थायी थे, बस आश्वस्त या विश्वसनीय नहीं हैं और कुल मिलाकर, हम पाते हैं कि श्री उपाध्याय द्वारा डी. एम. सी. का नियंत्रण, और श्री पाठक के साथ मिलीभगत और डी. एम. सी. और मिथुन के कॉर्पोरेट रूपों का उपयोग

बे बस एक "मुखौटा" था जिसका उपयोग आईएसएस को समाप्त करने के अन्यायपूर्ण परिणाम को बचाने या ढकने के लिए किया जाता था। इसलिए निगमित पर्दा उठाने के लिए अहंकार परिवर्तन सिद्धांत एक उचित औचित्य है।

आईएनआई बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

14. "प्रतिनिधित्व समझौते का उल्लंघन" शीर्षक के तहत, यह

अभिलिखित किया कि समझौते को किसी भी पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए यह वैध और लागू करने योग्य था। यह तब आयोजित किया गया थाः -

उस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए, हमें प्रतिनिधित्व समझौते की ओर रुख करना चाहिए। उस समझौते को किसी भी तरह से चुनौती नहीं दी गई थी और इसलिए यह एक वैध और लागू करने योग्य समझौता है। यह स्पष्ट है।

और अस्पष्ट नहीं है और इसलिए व्याख्या के अधीन नहीं है।

उस समझौते के तहत आईएसएस के दायित्व भी स्पष्ट हैं। आई. एस. एस. को अपनी वस्तुओं और सेवाओं को बेचना चाहिए (जिसका अर्थ है "उत्पाद और सेवाएं")।

कंपनी द्वारा बिक्री के लिए दी जा रही सेवाएं "(यानी डी. एम. सी.) और 2)" जहां कंपनी को स्वीकार्य हो (यानी डी. एम. सी.), निवेश और निवेशकों के संभावित स्रोतों की पहचान करें, और शर्तों, खरीद, बिक्री और/या बातचीत में कंपनी की सहायता करें।

निवेश "(खंड #2 देखें)।

समझौते में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि कितने ग्राहक, कितनी बार। न ही इसने यह निर्दिष्ट किया कि कितने निवेशक, किस कीमत पर, किस तारीख तक और चूंकि यह अनिश्चित अवधि के लिए था ("समय द्वारा सीमित नहीं है" खंड #3 देखें), आई. एस. एस./डी. एम. सी. व्यावसायिक संबंध की समाप्ति को उचित ठहराना कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

तथ्य यह है कि आई. एस. एस. को कोई निवेशक नहीं मिला।

डी. एम. सी. उस समझौते को समाप्त कर सकता है यदि कंपनी (डी. एम. सी.)

प्रतिनिधि प्रयासों से संतुष्ट नहीं था बशर्ते कि यह "विशिष्ट और उचित दिशानिर्देश" निर्धारित करता हो (खंड #3 देखें)। उत्तरदाता विश्वसनीय और प्रासंगिक साक्ष्य द्वारा साबित करने में विफल रहे

कि इस तरह के कोई भी "विशिष्ट और उचित दिशानिर्देश" कभी भी डी. एम. सी. बोर्ड या श्री उपाध्याय या श्री पाठक द्वारा स्थापित किए गए थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही डी. एम. सी. यह साबित कर सके कि इस तरह के दिशानिर्देश स्थापित किए गए थे, लेकिन यह समझौते के खंड #4 के दायित्व से बच नहीं सका, जो विशेष रूप से प्रदान करता है कि "यह खंड (कमीशन का भुगतान) इस समझौते को रद्द करने से बचता है।

किसी भी कारण से "।

15. "क्या डी. एम. सी./जेमिनी बे ने आई. एस. एस. में इस तरह के कमीशन से बचने/समाप्त करने की कोशिश की?" , मौखिक और वृत्तचित्र

एन. सी. ई. को निम्नानुसार संदर्भित किया गया थाः

इस संबंध में, सुश्री पार्कर ने अपनी स्थिति का सबसे अच्छा सारांश दिया।

गवाही (पी 16 पंक्तियों 7 से 16 पर पार्कर का बयान देखें)।

आई. एस. एस. को कमीशन का भुगतान। उनके बयान को श्री पाठक ने खुद भी स्वीकार किया जब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या डी. एम. सी. की समाप्ति का उद्देश्य "पीटिस को काटना" (आई. एस. एस.) था जिसका उन्होंने जवाब दिया। वास्तव में यह वही करता है "। ( पृष्ठ 19 पंक्तियों 18 से 20 पर पार्कर का बयान देखें)।

भले ही हम उत्तरदाताओं से सहमत हैं कि डी. एम. सी. के पास नहीं था

चिकित्सा प्रतिलेखन व्यवसाय में बने रहने का दायित्व, यह केवल प्रतिनिधित्व की शर्तों का सम्मान करके ही ऐसा कर सकता है

यह सुनिश्चित करके समझौता कि "प्रतिनिधि द्वारा पहचाने गए मौजूदा या संभावित ग्राहकों के लिए मुआवजा, भुगतान खंड के अनुसार जारी रहेगा" (भुगतान खंड के खंड #3 और #4 देखें।

प्रतिनिधित्व समझौता)।

डी. एम. सी. द्वारा बताए गए उद्देश्य के लिए इस तरह के व्यवसाय को छोड़ने का निर्णय (निवेशक को खोजने में आई. एस. एस. की विफलता) के साथ टकराव करता है।

प्रतिनिधित्व समझौते की शर्तें जो डी. एम. सी. को इस तरह के तर्क के तहत इसे समाप्त करने का विकल्प नहीं देती थीं और निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व समझौते के खंड #4 का उल्लंघन करते हुए कमीशन के भुगतान से इनकार (या बचने) करके नहीं। अगर डी. एम. सी. ने वास्तव में और पूरी तरह से चिकित्सा प्रतिलेखन व्यवसाय छोड़ दिया होता (उस व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य कंपनी की मदद किए बिना) तो हम इसके लिए एक उचित तर्क ढूंढ सकते थे, लेकिन

डी. एम. सी. द्वारा चिकित्सा प्रतिलेखन व्यवसाय को छोड़ने की घोषणा के बावजूद, श्री उपाध्याय और श्री पाठक समयबद्ध प्रयासों और कार्यों में लगे रहे जिसके परिणामस्वरूप जेमिनी बे आई. एस. एस. के नुकसान के लिए घटनाओं की एक सुनियोजित श्रृंखला के माध्यम से उस व्यवसाय को प्राप्त करता है और धोखाधड़ी के माध्यम से, कमीशन के भुगतान से बचता है।

चूंकि जेमिनी बे को डी. एम. सी. से मेडक्विस्ट और असिस्टमेड का व्यवसाय "विरासत में" मिला था, इसलिए इसने आई. एस. एस./डी. एम. सी. प्रतिनिधित्व समझौते के नियमों और शर्तों को भी विरासत में प्राप्त किया। उस प्रभाव के लिए, जेमिनी बे को डी. एम. सी. के अधीन कर दिया गया है और इसलिए डी. एम. सी. का उल्लंघन हो सकता है

सभी उत्तरदाताओं को इनपुट किया गया।

【 आईएनआई बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

इसलिए हम पाते हैं कि श्री उपाध्याय, डी. एम. सी. और जेमिनी बे ने एक साथ सांठगांठ की और उन्हें उस अनुबंध की अनिश्चित अवधि का उल्लंघन करते हुए और इनकार करते हुए प्रतिनिधि समझौते को अचानक समाप्त करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी पाया।

प्रतिनिधित्व के तहत बाध्य आयोगों का भुगतान करना समझौता।

16. यह तय करने में कि किन नुकसानों का भुगतान किया जाना चाहिए, विद्वान मध्यस्थ 1:

उत्तरदाता डी. एम. सी., श्री अरुण देव उपाध्याय और जेमिनी बे

कुछ खोज अनुरोधों के साथ पूरी तरह से सहयोग करने में विफलता

दावेदार, किसी के साथ नुकसान साबित करने का कार्य प्रदान किया गया

( प्रदर्शनी 169 पृष्ठ II और निम्नलिखित देखें)। श्री उपाध्याय और जेमिनी बे ने खोज प्रक्रिया का पक्ष लेने से इनकार कर दिया मध्यस्थता प्रक्रिया में सीधे भाग लें।

हर्जाने पर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ का उपयोग करने में दावेदार की विफलता नहीं है

एक प्रासंगिक तर्क क्योंकि दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में, कोई भी स्वतंत्र विशेषज्ञ संभवतः विश्वसनीय और विश्वसनीय तक नहीं पहुंच सकता था।

गैर-सट्टा राय, ऐसी परिस्थितियों में, श्री पीट की व्यवसाय के बारे में अंतरंग समझ दावेदार के लिए एकमात्र और सबसे अच्छा उपलब्ध विकल्प था। इस तरह के अभाव में

विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य, दावेदार को परिस्थितियों में नुकसान को सर्वोत्तम तरीके से साबित करने के प्रयास के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। चूंकि डेलावेयर कानून सामान्य राय द्वारा नुकसान की गवाही प्रस्तुत करने को स्वीकार करता है, इसलिए इस न्यायाधिकरण को भी ऐसा ही करना चाहिए।

( दावेदार निवेशक को खोजने के अपने प्रयासों के लिए किसी भी नुकसान का दावा नहीं करता है)। हम इस दावे को उचित पाते हैं। हालाँकि, हमें यह नहीं मानना चाहिए कि जेमिनी बे/मेडक्विस्ट/असिस्टमेड समझौते किसी भी विशिष्ट [2021] 7 एस. सी. आर. तक चले होंगे, हो सकते थे।

भविष्य में समय की मात्रा और हमें अवधि की सबसे उचित अवधि निर्धारित करनी चाहिए। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि या तो असिस्टमेड या मेडक्विस्ट अनुबंध उनके मूल 3 साल के कार्यकाल की अवधि तक चलेंगे। मेडक्विस्ट समझौते को 90 दिनों के नोटिस पर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। द असिस्टमेड

120 दिनों की अग्रिम सूचना के साथ अनुबंध को बिना किसी कारण के समाप्त किया जा सकता है (प्रदर्शनी 5 पृष्ठ 3 देखें)। इसलिए यह न्यायाधिकरण निष्कर्ष निकालता है कि नुकसान समय में सीमित होना चाहिए और भविष्य में हमेशा के लिए नहीं माना जा सकता है।

दावेदार की धारणाएँ कि मेडक्विस्ट और सहायक दोनों अनुबंध 2012 तक चलेंगे (वे अभी भी इस पुरस्कार की तारीख से लागू हैं), पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है क्योंकि यह हमें भविष्य के नुकसान पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। हालाँकि हमने एक उल्लंघन पाया

प्रतिनिधित्व समझौते के अनुसार, हमारे पास भविष्य में नुकसान का भुगतान करने का कानूनी आधार है और यह पता लगाने के लिए कि 2012 में नुकसान को समाप्त करना परिस्थितियों के तहत उचित है। श्री उपाध्याय की गवाही (पुनः: सी-बे '

और श्री रमन कुमार) कि मेडक्विस्ट अनुबंध होगा निकट भविष्य में समाप्त करना स्व-सेवा है, जो किसी भी प्रासंगिक या विश्वसनीय जानकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है, और इसलिए, विश्वसनीय नहीं है।

17. परिणामस्वरूप, पुरस्कार इस प्रकार थाः

पुरस्कार

2. यदि इस पुरस्कार की तारीख से तीस दिनों के भीतर पुरस्कार का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जाता है, तो दावेदार समाप्ति की तारीख से संगणित ब्याज की वसूली करने का भी हकदार होगा। डेलावेयर कानून के तहत स्वीकार्य उच्चतम कानूनी दर पर पुरस्कार की कुल राशि पर प्रतिनिधित्व समझौते (22 जुलाई, 2008) का।

3. इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन (आई. सी. डी. आर.) का प्रशासनिक शुल्क और खर्च कुल चौदह हजार डॉलर आई. आई. एन. आई. बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी. है।

लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

( $ 14, 000.00 ) , और मध्यस्थ का कुल चालीस-नौ हजार, नौ सौ तीन डॉलर का मुआवजा और खर्च

( $ 49, 903.00 ) , उत्तरदाताओं द्वारा पूरी तरह से, संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से वहन किया जाएगा। इसलिए, उत्तरदाता संयुक्त रूप से और अलग-अलग करेंगे।

4. चूँकि मध्यस्थता खंड में वकीलों की फीस देने का प्रावधान नहीं था, इसलिए दावेदार और उत्तरदाता जिम्मेदार होंगे। अपने स्वयं के वकीलों की फीस, लागत और खर्चों के लिए।

5. इस न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार, सभी लागत और खर्च

शुक्रवार, 5 मार्च, 2010 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल विशेष रूप से उत्तरदाताओं द्वारा वहन की जाएगी, लेकिन दावेदार उस कॉल के दौरान मौजूद अपने वकीलों की लागत और खर्च के लिए जिम्मेदार होगा।

6. यह पुरस्कार इस मध्यस्थता को प्रस्तुत किए गए सभी दावों और प्रतिवादों के पूर्ण निपटारे में है। कोई दावा या प्रतिवाद नहीं विशेष रूप से दिए गए पुरस्कार को इसके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है।

18. उपरोक्त पुरस्कार को लागू करने के लिए, प्रतिवादी ने पहले प्रधान जिला न्यायाधीश, नागपुर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि यह एक विदेशी पुरस्कार है, एक जिला न्यायाधीश के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

उसी को मजबूर करें, उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश

इसके बाद बॉम्बे की नागपुर पीठ से संपर्क किया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 18 अप्रैल, 2016 को अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा

डीडः

4. ..... पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि उनके प्रतिद्वंद्वी तर्कों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य का नेतृत्व करने का सवाल बिल्कुल भी नहीं उठता है और कानून के शुद्ध प्रश्न उठाए जाते हैं, जिनका निर्णय उन दस्तावेजों के आधार पर किया जा सकता है जिन्हें स्वीकार किया जाता है और उन पर रखा जाता है।

रिकॉर्ड करें।

19. इस पर चर्चा करने के बाद कि क्या एक विदेशी की सामग्री

डी से मुलाकात की गई, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया किः

16. यह विवाद में नहीं है कि मध्यस्थता के खंड 8 (डी) वाले लागू प्रतिनिधित्व समझौतों को 3-/ 10/-2000 उपक्रम से लागू किया गया है ताकि मध्यस्थता के लिए सभी या किसी भी मतभेद को प्रस्तुत किया जा सके-निपटान में सक्षम विषय [2021] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्यस्थता द्वारा, आवेदक-कंपनी के निदेशक टेरी एल. पीट और गैर-आवेदक संख्या 3 (i)-रतन राम पाठक द्वारा गैर-आवेदक संख्या 1-कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी क्षमता में हस्ताक्षर किए जाते हैं। प्रतिनिधित्व समझौतों के रूप में लिखित रूप में एक परिभाषित कानूनी संबंध मौजूद है। द. अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा 28/3/2010 को पारित मध्यस्थता निर्णय मध्यस्थता समझौते के पक्षों के बीच मतभेदों पर है। अतः उक्त पुरस्कार, उक्त अधिनियम की धारा 44 के तहत परिभाषित "विदेशी पुरस्कार" की कसौटी को संतुष्ट करता है। प्रश्न संख्या (1) का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

20. इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि समझौता और मध्यस्थता खंड

उन व्यक्तियों के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है जो गैर-हस्ताक्षरकर्ता हैं, भले ही ऐसे गैर-हस्ताक्षरकर्ता मध्यस्थता में भाग ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी सहमति या अवरोध अधिकार क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर लागू नहीं हो सकता है। अतः अभिनिर्धारित करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने धारा 48 (1) (सी) से (ई) को यह अभिनिर्धारित करने के लिए लागू किया कि चूंकि जी. बी. टी. और अरुण देव उपाध्याय मध्यस्थता के पक्षकार नहीं थे समझौता, पुरस्कार उनके खिलाफ प्रवर्तनीय नहीं होगा। हालांकि, डी. एम. सी. द्वारा एक "सार्वजनिक नीति याचिका" को खारिज करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि पुरस्कार डी. एम. सी. के खिलाफ लागू करने योग्य होगा क्योंकि यह एक

21. एक पक्ष की झड़प हुई कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से अपील दायर की जा सकती है, और तर्क थे महाराष्ट्र उच्च न्यायालय की धारा 3 के आवेदन के आधार पर उठाया गया (खंड पीठ द्वारा रिट याचिकाओं की सुनवाई और

लेटर्स पेटेंट) अधिनियम, 1986, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील बनाए रखने योग्य होगी (बॉम्बे उच्च न्यायालय का 23 जून, 2016 का निर्णय देखें। सिविल अपील सं. 8475-76/2016 में 30 सितंबर, 2016 के फैसले के माध्यम से, इस न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि ऐसी अपील विचारणीय होगी, लेकिन केवल मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 50 के तहत।

22. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने तथ्यों को बताने के बाद और यह देखने के बाद कि इस मामले में विदेशी पुरस्कार नहीं दिया गया था

संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनौती दी गई, तब यह माना गया कि पुरस्कार को केवल धारा 48 के तहत चुनौती दी जा सकती है यदि डेलावेयर कानून का अहंकार परिवर्तन सिद्धांत पर पालन नहीं किया गया है। इस बात से संतुष्ट होने पर कि मध्यस्थ ने इस मामले के तथ्यों पर डेलावेयर कानून को ठीक से लागू किया था, अदालत ने माना कि कोई भी जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी. नहीं है।

लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

धारा 48 में निहित आधार लागू होंगे ताकि इस मामले में विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन का विरोध किया जा सके। डिवीजन बेंच ने तब निर्णय दिया कि धारा 48 के लिए आवश्यक है कि प्रवर्तन का विरोध करने के लिए जिन आधारों पर दबाव डाला जाता है, उन्हें "साबित" किया जाना चाहिए। खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि "साक्ष्य" केवल साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की तुलना में एक उच्च आदेश का है और फिर अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी यह "साबित" करने में बुरी तरह विफल रहे हैं कि धारा 48 में निहित कोई भी आधार आकर्षित किया गया था। नतीजतन, खंड पीठ ने अपील को स्वीकार कर लिया और 4 जनवरी, 2017 के विवादित फैसले द्वारा एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया। एक समीक्षा याचिका थी

बाद में 24 फरवरी, 2017 को बर्खास्त कर दिया गया। 23. जब मामला इस अदालत में आया, तो डी. एम. सी. की विशेष अनुमति याचिका (एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 20802/2016) में, डी. एम. सी. द्वारा राशि जमा करने के अधीन 11 जनवरी, 2017 के एक आदेश द्वारा विशेष अनुमति दी गई थी।

तीन महीने के भीतर 25 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो छुट्टी अपने आप रद्द हो जाएगी। डी. एम. सी. ने उपरोक्त राशि जमा करने में चूक की, जिसके परिणामस्वरूप छुट्टी रद्द कर दी गई, जो हमारे 21 अगस्त, 2017 के आदेश में परिलक्षित होता है। नतीजतन, डी. एम. सी. के खिलाफ विदेशी पुरस्कार अब अंतिम और बाध्यकारी है। 24. जी. बी. टी. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 44 और 47 को पढ़ा और फिर तर्क दिया कि धारा 47 (1) (सी) के तहत यह साबित करने का भार है कि भाग 2 के तहत एक विदेशी पुरस्कार लागू किया जा सकता है, उस व्यक्ति पर है जिसके पक्ष में वह पुरस्कार दिया जाता है, और यह कि मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर न करने वाले के मामले में इस तरह के बोझ को केवल सबूत पेश करके ही हटाया जा सकता है जो स्वतंत्र रूप से स्थापित करेगा कि ऐसे गैर-हस्ताक्षरकर्ता को विचाराधीन विदेशी पुरस्कार द्वारा कवर किया जा सकता है। इस मामले के तथ्यों में ऐसा नहीं किए जाने के कारण, सबूत की आवश्यकता का सीमा बोझ पूरा नहीं होता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रवर्तन याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तब धारा 48 और विशेष रूप से उप-धारा (1) उप-खंड (ए) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उनके अनुसार, मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर न करने वाले को सीधे उपखंड (ए) के साथ-साथ उपखंड (सी) द्वारा कवर किया जाएगा, और यदि पुरस्कार पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि दिए गए कारण बेहद अस्पष्ट हैं और तथ्यों पर नहीं बल्कि अस्पष्टता पर आधारित हैं, जिससे पुरस्कार इन दो आधारों पर अलग किए जाने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि धारा 48 (1) (बी) एक प्राकृतिक न्याय आधार को संदर्भित करती है, लेकिन प्राकृतिक न्याय का हिस्सा होने के कारण देना इस आधार में शामिल किया जाना चाहिए, और क्योंकि विद्वान मध्यस्थ, [2021] 7 एस. सी. आर. द्वारा कोई उचित कारण नहीं दिए गए हैं।

इस आधार पर भी पुरस्कार अलग रखा जाना चाहिए। फिर उन्होंने तर्क दिया कि पुरस्कार किसी भी मामले में विकृत है, और डी. एम. सी. के दो मुवक्किल जिन्हें जी. बी. टी. में स्थानांतरित किया गया था, मामले में महत्वपूर्ण सबूत थे, और गैर -

इन दोनों ग्राहकों की जाँच से पुरस्कार भी दूषित हो जाएगा। उन्होंने इन प्रस्तुतियों को पुष्ट करने के लिए कई निर्णयों का हवाला दिया। 25. श्री विश्वनाथन ने यह भी तर्क दिया कि विद्वत मध्यस्थ के समक्ष वास्तविक नुकसान साबित किए बिना हर्जाना दिया गया था

एग्रीट्रेड इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत। राष्ट्रीय कृषि सहकारी समिति। एमकेटीजी।

26. अरुण देव उपाध्याय की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश साल्वे ने तर्क दिया कि यातना दी जाएगी मध्यस्थता समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले संविदात्मक विवादों के बाहर और चूंकि कार्रवाई का कारण वास्तव में अपकृत्य में उत्पन्न हुआ था, इसलिए इस आधार पर पुरस्कार को दूषित कर दिया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि दल्ला रियल एस्टेट और पर्यटन कंपनी बनाम धार्मिक मामलों के मंत्रालय पर बहुत अधिक भरोसा किया जाए।

पाकिस्तान सरकार [2010] 3 डब्ल्यू. एल. आर. 1472 ["दल्ला"] ने कहा कि मौखिक और/या दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर एक पूरी समीक्षा की जानी चाहिए थी जो इस मामले के तथ्यों पर नहीं की गई थी, डिवीजन बेंच ने केवल मध्यस्थ के निष्कर्षों को प्रतिध्वनित किया। फिर उन्होंने एक मध्यस्थता अधिनियम की धारा 46 और धारा 35 के बीच अंतर, और तर्क दिया कि धारा 46 के तहत, एक विदेशी पुरस्कार को केवल उन व्यक्तियों पर बाध्यकारी माना जाना चाहिए जिनके बीच यह किया गया था, न कि उन व्यक्तियों पर जो पक्षों के तहत दावा कर सकते हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जहां तक उनके मुवक्किल का संबंध है, किसी भी तरह से उनकी संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है और उनके मुवक्किल के खिलाफ निष्कर्ष अनुचित और अनुचित हैं, और इस आधार पर भी पुरस्कार दूषित है।

27. श्री आरिफ बुकवाला, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

आई. एस. एस. की ओर से, डिवीजन बेंच के फैसले का समर्थन किया और हमें यह बताते हुए तथ्यों के माध्यम से ले गया कि कैसे, जैसा कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा सही ढंग से माना गया था, श्री अरुण देव उपाध्याय, डी. एम. सी. और जी. बी. टी. का पता सभी पर था।

नागपुर में वही जगह। उन्होंने हमें बहुत मेहनत से पुरस्कार के माध्यम से यह दिखाने के लिए ले जाया कि विद्वान मध्यस्थ ने न केवल इस मामले में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर अपना दिमाग लगाया, जिसमें आईएसएस की ओर से गवाही देना और डीएमसी की ओर से श्री पाठक और श्री अरुण उपाध्याय गवाही देना शामिल था, और फिर तर्क दिया कि जब तक पुरस्कार जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी. है, तब तक मध्यस्थता पुरस्कार में विस्तृत कारण नहीं दिए जाने चाहिए।

कारण बनता है। इसके बाद उन्होंने श्री विश्वनाथन और श्री साल्वे की दलीलों का यह तर्क देते हुए विरोध किया कि उनके मुवक्किलों ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष स्वीकार किया था कि केवल कानून के प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिसके परिणामस्वरूप कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं होती है-जो कि श्री विश्वनाथन और श्री साल्वे द्वारा हमारे सामने की गई दलीलों के विपरीत है। उन्होंने तब तर्क दिया कि धारा 48 के तहत कोई भी आधार नहीं बनाया गया है क्योंकि न तो धारा 48 (1) (ए) और न ही धारा 48 (1) (सी) मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर न करने वालों के साथ दूर से भी काम करेगी और यह कि, नहीं पुरस्कार के प्रवर्तन पर आपत्ति सार्वजनिक नीति के विपरीत होने के कारण निचली अदालतों में किसी भी अपीलार्थी द्वारा तर्क दिया जा रहा है, अपीलों को खारिज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए विभिन्न निर्णयों का भी उल्लेख किया।

28. सभी पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, पहले प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को निम्नानुसार निर्धारित करना महत्वपूर्ण हैः

44. परिभाषा. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, "विदेशी अधिनिर्णय" का अर्थ है मतभेदों पर मध्यस्थता अधिनिर्णय।

कानूनी संबंधों से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों के बीच, चाहे

संविदात्मक या नहीं, जिसे भारत में लागू कानून के तहत वाणिज्यिक माना जाता है, जिसे 11 अक्टूबर, 1960 को या उसके बाद बनाया गया था -

( क) मध्यस्थता के लिए लिखित समझौते के अनुसरण में, जिस पर पहली अनुसूची में निर्धारित समझौता लागू होता है,

और

( ख) केंद्र सरकार के रूप में ऐसे क्षेत्रों में से किसी एक में, यह संतुष्ट होने पर कि पारस्परिक प्रावधान किए गए हैं, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया जा सकता हैः

जो उक्त समझौता लागू होता है।

XXX XXX XXX

47. सबूत। ( 1 ) विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए आवेदन करने वाली पार्टी

आवेदन के समय, अदालत [2021] 7 एस. सी. आर. के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

( क) मूल पुरस्कार या उसकी एक प्रति, जो उस देश के कानून द्वारा अपेक्षित तरीके से विधिवत प्रमाणित की गई थी जिसमें इसे बनाया गया था;

( ख) मध्यस्थता के लिए मूल समझौता या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रति; और ( ग) ऐसा साक्ष्य जो यह साबित करने के लिए आवश्यक हो कि पुरस्कार

यह एक विदेशी पुरस्कार है।

XXX XXX XXX

3. विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन के लिए शर्तें।

) अनुरोध पर विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है।

जिस पक्ष के खिलाफ इसे लागू किया जाता है, केवल तभी जब वह पक्ष अदालत में सबूत प्रस्तुत करता है कि -

( क) धारा 44 में निर्दिष्ट समझौते के पक्षकार, उन पर लागू कानून के तहत, कुछ अक्षमता के तहत थे, या उक्त समझौता उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके लिए -

पक्षकारों ने इसके अधीन किया है या, उस पर कोई संकेत देने में विफल रहने पर,

उस देश का कानून जहाँ पुरस्कार दिया गया था; या ( ख) जिस पक्षकार के विरुद्ध अधिनिर्णय का अनुरोध किया गया है, उसे मध्यस्थ या मध्यस्थ की नियुक्ति की उचित सूचना नहीं दी गई थी।

मध्यस्थता कार्यवाही या अन्यथा अपने पेश करने में असमर्थ था मामला; या

( ग) पुरस्कार उस अंतर से संबंधित है जिस पर विचार नहीं किया गया है या जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर नहीं आता है, या

इसमें इसके दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय शामिल हैं

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुतिकरणः बशर्ते कि, यदि मध्यस्थता को प्रस्तुत किए गए मामलों पर निर्णयों को उन लोगों से अलग किया जा सकता है जो इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो मध्यस्थता का वह भाग

पुरस्कार जिसमें प्रस्तुत किए गए मामलों पर निर्णय शामिल हैं मध्यस्थता लागू की जा सकती है;

XXX XXX XXX

O. मध्यस्थता और सुलह 6 की धारा 44 को पढ़ने से पता चलेगा कि उक्त धारा के तहत एक पुरस्कार के लिए छह तत्व हैं। सबसे पहले, यह कानूनी संबंधों से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों के बीच एक मध्यस्थता पुरस्कार होना चाहिए।

दूसरा, जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी.। लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

ये अंतर अनुबंध में या अनुबंध के बाहर हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, अपकृत्य में। तीसरा, इस प्रकार बताए गए कानूनी संबंध को भारत में कानून के तहत "वाणिज्यिक" माना जाना चाहिए। चौथा, पुरस्कार 11 अक्टूबर, 1960 को या उसके बाद दिया जाना चाहिए। पाँचवाँ, पुरस्कार न्यूयॉर्क कन्वेंशन पुरस्कार होना चाहिए-संक्षेप में यह एक के अनुसरण में होना चाहिए

लिखित समझौता जिस पर न्यूयॉर्क कन्वेंशन लागू होता है और ऐसे क्षेत्रों में से एक में होता है। और छठा, यह ऐसे क्षेत्रों में से एक में बनाया जाना चाहिए जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा उन क्षेत्रों के रूप में घोषित करती है जिन पर न्यूयॉर्क कन्वेंशन लागू होता है।

30. विद्या द्रोलिया बनाम में "कानूनी संबंध" अभिव्यक्ति की व्याख्या की गई है। दुर्गा ट्रेडिंग कार्पोरेशन। , ( 2021 ) 2 एस. सी. सी. 1 निम्नलिखित हैः

24. ..... अभिव्यक्ति "कानूनी संबंध", जिसे फिर से मध्यस्थता अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, का अर्थ है एक ऐसा संबंध जो कानूनी दायित्वों और कर्तव्यों को जन्म देता है और इसलिए, एक अधिकार प्रदान करता है।

31. इसके अलावा, पुरस्कार उल्लंघन से उत्पन्न मतभेदों से निपट सकता है।

अनुबंध या अपकृत्य। 32. इसी तरह, भारत के कानून के तहत जिसे "वाणिज्यिक" माना जाता है, उसे UNCITRAL मॉडल कानून में अच्छी तरह से समझाया गया हैः

" 'वाणिज्यिक' शब्द की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए ताकि वाणिज्यिक प्रकृति के सभी संबंधों से उत्पन्न होने वाले मामलों को शामिल किया जा सके, चाहे वे संविदात्मक हों या नहीं। वाणिज्यिक प्रकृति के संबंधों में शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, माल या सेवाओं की आपूर्ति या आदान-प्रदान के लिए कोई भी व्यापार लेनदेन; वितरण समझौता; वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व या एजेंसी; फैक्टरिंग, लीजिंग, कार्यों का निर्माण; परामर्श,

इंजीनियरिंग, लाइसेंस निवेश, वित्तपोषणः बैंकिंग; बीमा; शोषण समझौता या रियायत, संयुक्त उद्यम और औद्योगिक या व्यावसायिक सहयोग के अन्य रूप; माल की ढुलाई या

हवाई, समुद्री, रेल या सड़क मार्ग से यात्री।

33. आर. एम. इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कं. (पी) लिमिटेड v. बोइंग कंपनी, (1994) 4 एस. सी. सी. 541, पृष्ठ 546 पर, इस अदालत ने निर्णय दियाः

12. [ में] की धारा 2 में "वाणिज्यिक" अभिव्यक्ति का अर्थ

[विदेशी पुरस्कार (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961] यह ध्यान में रखना होगा कि

" अधिनियम की गणना [2021] 7 एस. सी. आर. द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई है।

ऐसे व्यापार में उत्पन्न होने वाले विवादों के त्वरित निपटारे के लिए मध्यस्थता और किसी भी अभिव्यक्ति या वाक्यांश के माध्यम से प्रावधान करना। उसमें अपने शाब्दिक और व्याकरणिक अर्थ के अनुरूप एक उदार संरचना प्राप्त होनी चाहिए। [ देखिए: रेनुसागर पावर कं. लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक कं. [(1984) 4 एस. सी. सी. 679] (पी. 723-24 ) और कोच नेविगेशन इंक. बनाम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम

कॉर्प. लिमिटेड [(1989) 4 एस. सी. सी. 259,262 (पैरा 8)]

इसलिए, "वाणिज्यिक" अभिव्यक्ति का व्यापक रूप से उन कई गतिविधियों के संबंध में अर्थ लगाया जाना चाहिए जो अभिन्न हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा।

वार्ड एक विदेशी पुरस्कार है।35. धारा 47 न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद IV पर आधारित है जो मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की अनुसूची I में निहित है। अनुच्छेद IV

इस प्रकार हैः

अनुच्छेद IV

1. में उल्लिखित मान्यता और प्रवर्तन प्राप्त करने के लिए

पूर्ववर्ती अनुच्छेद, मान्यता के लिए आवेदन करने वाली पार्टी और

प्रवर्तन, आवेदन के समय, आपूर्ति करेगाः

( क) विधिवत प्रमाणित मूल पुरस्कार या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रति; ( ख) अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट मूल समझौता या विधिवत

इसकी प्रमाणित प्रति।

2. यदि उक्त पुरस्कार या समझौता उस देश की आधिकारिक भाषा में नहीं किया जाता है जिसमें पुरस्कार पर भरोसा किया जाता है, तो पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन के लिए आवेदन करने वाला पक्ष एक इन दस्तावेजों का ऐसी भाषा में अनुवाद करना। अनुवाद एक आधिकारिक या शपथ अनुवादक या एक राजनयिक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

या कांसुलर एजेंट।

जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

36. अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता नामक अपने ग्रंथ में

गैरी बी. बोर्न (वोल्टर्स क्लूवर, दूसरा संस्करण, 2014) ["गैरी बोर्न"], न्यूयॉर्क सम्मेलन के अनुच्छेद IV पर चर्चा करते हुए विद्वान लेखक यह कहने के लिए हैः

अनुच्छेद IV में निहित; अनुच्छेद IV अधिकतम मानक निर्धारित करता है किसी पुरस्कार का प्रमाण और संविदाकारी राज्य लागू नहीं कर सकते हैं

प्रमाण की सख्त या अधिक कठोर आवश्यकताएँ।

XXX XXX XXX

समझौते को आगे बढ़ाने के लिए अनुच्छेद IV का मसौदा तैयार किया गया था। सामान्य प्रवर्तन समर्थक नीतियाँ। जैसा कि एक राष्ट्रीय अदालत ने कहाः

" अनुच्छेद IV की व्याख्या भावना के अनुसार की जानी चाहिए।

कन्वेंशन से। संविदाकारी राज्य कम करना चाहते थे मान्यता और प्रवर्तन की मांग करने वाले पक्ष के लिए दायित्व

जितना संभव हो सके विदेशी मध्यस्थता पुरस्कार का। [ का निर्णय

15 अप्रैल 1999, XXVI Y. B. Com. अरब। 863 , 866 ( जिनेवा कोर्ट

न्याय) (2001)]

इस उद्देश्य के अनुरूप, राष्ट्रीय न्यायालयों ने आम तौर पर

अनुच्छेद के तहत प्रमाण आवश्यकताओं को जटिल बनाने के प्रयासों को अस्वीकार कर दिया गया

IV, प्रमाण की दिशा में एक व्यावहारिक और अपेक्षाकृत लचीला दृष्टिकोण अपनाना

आवश्यकताएँ।

( पृष्ठों पर 3396-3397)

37. इससे यह स्पष्ट है कि उप-धारा (1) की सभी आवश्यकताएँ

विश्वनाथन और श्री साल्वे की यह दलील कि यह साबित करना कि मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर न करने वाले को केवल प्रवर्तन अदालत के समक्ष पेश किए जाने वाले साक्ष्य पर ही उपरोक्त समझौते में शामिल किया जा सकता है कि क्या हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति एक पक्ष के तहत दावा करने वाला व्यक्ति है या अन्यथा अहंकार परिवर्तन के सिद्धांत से प्रभावित है, यह कहना कपटपूर्ण है। कम से कम। धारा 47 (1) (सी) प्रक्रियात्मक प्रकृति की होने के कारण यह साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य की आवश्यकता की सीमा तक नहीं जाती है कि मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर न करने वाला विदेशी निर्णय से बाध्य हो सकता है।

वास्तव में, धारा 47 (1) (सी) केवल साक्ष्य की बात करती है जो यह साबित करने के लिए आवश्यक हो सकता है कि पुरस्कार एक विदेशी पुरस्कार है। केवल यह खंड

इसमें एक विदेशी पुरस्कार के छह अवयवों का संदर्भ है जिन्हें यहाँ ऊपर उल्लिखित किया गया है, जो परिभाषा खंड, अर्थात् धारा 44 में निहित हैं। सामग्री 1 से 4 को आसानी से विदेशी पुरस्कार से ही निकाला जा सकता है क्योंकि पुरस्कार उन तथ्यों का वर्णन करेगा जो पुरस्कार से बंधे 'व्यक्तियों' के बीच कानूनी संबंध को दर्शाते हैं (जो आवश्यक रूप से मध्यस्थता समझौते के पक्षकार नहीं हैं), और क्या पुरस्कार उन मामलों से संबंधित है जिन्हें भारत में लागू कानून के तहत वाणिज्यिक माना जा सकता है। समान रूप से, विदेशी पुरस्कार की तारीख होगी विदेशी पुरस्कार के चेहरे पर ही दिखाई देता है। इस प्रकार, धारा 47 (1) (सी) साक्ष्य प्रस्तुत करने पर लागू होगी कि क्या मध्यस्थता समझौता न्यूयॉर्क कन्वेंशन समझौता है। इसके अलावा, अपेक्षित केंद्र सरकार की अधिसूचना धारा 47 (1) (सी) के तहत प्रस्तुत की जा सकती है, ताकि धारा 44 (बी) संतुष्ट हो जाए। यह तर्क देना कि प्रमाण का भार अधिनिर्णय को लागू करने वाले व्यक्ति पर है और इस भार को केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्वहन किया जा सकता है जो सकारात्मक रूप से यह दिखाने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करता है कि मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर न करने वाला विदेशी अधिनिर्णय से बाध्य हो सकता है, धारा 47 (1) (सी) के बाहर है। फलस्वरूप इस तर्क को खारिज कर दिया जाता है।

38. अब हम धारा 48 पर आते हैं जो एक विदेशी पुरस्कार को अस्वीकार किए जाने के प्रवर्तन से संबंधित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब

विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन का विरोध किया जाता है, जो पक्ष इसका विरोध करता है, उसे अदालत के समक्ष यह साबित करना होगा कि उसका मामला धारा 48 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के किसी भी उपखंड के भीतर आता है। चूँकि कुछ तर्क थे

धारा 48 (1) में निहित "प्रमाण" अभिव्यक्ति के बारे में, उसी से निपटना आवश्यक है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बनाम। गिरधर सोंधी, (2018) 9 एस. सी. सी. 49, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 में निहित समान सामग्री प्रावधान के तहत एक सवाल उठा कि उसमें "सबूत" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। उच्च न्यायालय के कई निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, और एक संशोधन जो अब धारा 34 में किया गया है, जिसमें अभिव्यक्ति "सबूत प्रस्तुत करती है" जिसे अब "द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है" मध्यस्थ न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड के आधार पर स्थापित करता है कि ", इस निर्णय में कहा गया है कि अभिव्यक्ति" सबूत "है।

संभवतः इसका मतलब मौखिक साक्ष्य लेना नहीं हो सकता है क्योंकि यह अन्यथा होगा धारा 34 याचिकाओं के त्वरित निपटान के उद्देश्य को विफल करना। यह इस प्रकार कहा गया थाः

21. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि मध्यस्थता विवादों का त्वरित समाधान 1996 के अधिनियम को लागू करने का कारण रहा है, और यह जारी है।

लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

उपरोक्त उद्देश्य को मजबूत करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन जोड़ने का कारण बने। स्पष्ट रूप से, यदि मुद्दों को तैयार किया जाता है और धारा 34 के तहत संक्षिप्त कार्यवाही में मौखिक साक्ष्य लिया जाता है, तो यह उद्देश्य विफल हो जाएगा। यह भी माना जा रहा है कि यदि 2018 का विधेयक संख्या 100 पारित हो जाता है, तो धारा 34 के आवेदन के स्तर पर साक्ष्य को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। कानून की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, हमारा विचार है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के दो शुरुआती फैसले [संदीप कुमार बनाम। अशोक हंस, 2004 एससीसी

ऑनलाइन डेल 106: ( 2004 ) 3 अरब एल. आर. 305] [सियाल बायोएनर्जी बनाम। एस. बी. ई. सी. सिस्टम्स, 2004 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 863: ए. आई. आर. 2005 डेल 95], जिसे हमने ऊपर उद्धृत किया है, धारा 34 (2) (ए) के तहत सबूत प्रस्तुत करने के बारे में कानूनी स्थिति को सही ढंग से दर्शाता है। इसी तरह कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय [वेब टेक्निक्स एंड नेट सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड। गति

लिमिटेड, 2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 4271]। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि यदि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले [पंजाब एस. आई. डी. सी. लिमिटेड बनाम पंजाब एस. आई. डी. सी. लिमिटेड] द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया। सुनील के. कंसल, 2012 एससीसी

ऑनलाइन पी एंड एच 19641] का पालन किया जाना है, उल्लंघन में अधिकांश मामलों में केवल एक वर्ष की समय सीमा का पालन किया जाएगा। हम. इसलिए उक्त निर्णय को रद्द कर दें। हम यह देखने के लिए विवश हैं कि फिज़ा डेवलपर्स [फिज़ा डेवलपर्स एंड इंटर-ट्रेड (पी)]

लिमिटेड वी. ए. एम. सी. आई. (इंडिया) (पी) लिमिटेड, (2009) 17 एस. सी. सी.] सही दिशा में एक कदम था क्योंकि इसका अंतिम अनुपात यह है कि धारा 34 आवेदन की सुनवाई के चरण में मुद्दों को उठाने की आवश्यकता नहीं है, जो एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। हालाँकि, इस निर्णय को अब धारा 34 (5) और 34 (6) में किए गए संशोधन के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। तो पढ़ें, हम यह कहते हुए कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि स्थापना के लिए एक आवेदन एक तरफ एक मध्यस्थ पुरस्कार के लिए आम तौर पर इससे आगे कुछ भी आवश्यक नहीं होगा।

अभिलेख जो मध्यस्थ के समक्ष था। हालाँकि, यदि ऐसे मामले ऐसे रिकॉर्ड में निहित नहीं हैं, और धारा 34 (2) (ए) के तहत उत्पन्न होने वाले मुद्दों के निर्धारण के लिए प्रासंगिक हैं, तो उन्हें दोनों पक्षों द्वारा दायर हलफनामों के माध्यम से न्यायालय के ध्यान में लाया जा सकता है। शपथ-पत्रों की शपथ लेने वाले व्यक्तियों की प्रतिपरीक्षा की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो, क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा दायर शपथ-पत्रों को पढ़ने पर सच्चाई सामने आएगी। इसलिए, हम निर्णय [गिरधर सोंधी बनाम। दिल्ली उच्च न्यायालय की एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 12758] और दिनांक 22-9-2016 के विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को बहाल करती है। याचिका

तदनुसार लागत के रूप में बिना किसी आदेश के अनुमति दी जाती है।

21 ] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

39. यह देखते हुए कि पारंपरिक देशों में विदेशी पुरस्कारों को यथासंभव तेजी से लागू करने की आवश्यकता है, वही तर्क धारा 48 पर लागू होगा, जिसके परिणामस्वरूप धारा 48 में "प्रमाण" अभिव्यक्ति का अर्थ केवल "मध्यस्थ न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड के आधार पर स्थापित" और ऐसे अन्य मामले होंगे जो धारा 48 में निहित आधारों के लिए प्रासंगिक हैं।

40. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि न्यूयॉर्क सम्मेलन,

जिसे हमारे अधिनियम ने अपनाया है, उसका प्रवर्तन के पक्ष में पक्षपात है, और जब तक कि कोई पक्ष यह दिखाने में सक्षम न हो कि उसका मामला धारा 48 (1) के भीतर स्पष्ट रूप से आता है।

या 48 (2), विदेशी पुरस्कार को लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, धारा 48 (1) (ए) से (ई) में निहित आधारों का व्यापक रूप से नहीं बल्कि संकीर्ण रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार, सांगयोंग एंग में। & कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम एनएचएआई,

( 2019 ) 15 एस. सी. सी. 131 ["सांगयोंग"], यह आयोजित किया गया थाः -

45. न्यूयॉर्क कन्वेंशन का उल्लेख करने के बाद, यह न्यायालय

धारा 34/48 के तहत आधारों की जांच के दायरे को चित्रित किया गया

( विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 के तहत आधार के समतुल्य, जिस पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया था), और अभिनिर्धारित किया गयाः ( रेनुसागर मामला [रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम। जनरल इलेक्ट्रिक कं., 1994

पूरक (1) एस. सी. सी. 644], एस. सी. सी. पीपी। 671-72 & 681-82 , पैरा 34-37 &

65-66 )

" 34. 1927 के जिनेवा समझौते के तहत, विदेशी मध्यस्थता पुरस्कार की मान्यता या प्रवर्तन प्राप्त करने के लिए, अनुच्छेद I के खंड (ए) से (ई) की आवश्यकताओं को पूरा करना था। और अनुच्छेद II में, यह निर्धारित किया गया था कि भले ही अनुच्छेद I में निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया हो, लेकिन यदि न्यायालय खंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित मामलों के संबंध में संतुष्ट हो जाता है तो पुरस्कार की मान्यता और प्रवर्तन से इनकार कर दिया जाएगा। विदेश की मान्यता और प्रवर्तन पर लागू होने वाले सिद्धांत

पुरस्कार मूल रूप से सामान्य कानून में अंग्रेजी अदालतों द्वारा अपनाए गए पुरस्कारों के समान हैं। ( डाइसी एंड मॉरिस, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कानून, 11 वीं संस्करण। , खण्ड. आई, पी। 578. ) लेकिन यह महसूस किया गया कि

जिनेवा समझौते में कुछ खामियां थीं जो

मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के त्वरित निपटान में बाधा। न्यूयॉर्क कन्वेंशन एक अधिक सरल और प्रभावी विधि प्रदान करके उक्त दोषों को दूर करने का प्रयास करता है।

विदेशी पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन प्राप्त करना।

न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत जिस पार्टी के खिलाफ पुरस्कार लागू करने की मांग की गई है, वह मान्यता पर आपत्ति कर सकती है और आई बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

उप में निर्धारित आधारों पर विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन

अनुच्छेद 5 के खंड (1) के खंड (ए) से (ई) तक और न्यायालय, अपने प्रस्ताव पर, किसी अनुच्छेद को मान्यता देने और लागू करने से इनकार कर सकता है।

अनुच्छेद 5 के खंड (2) के उपखंड (ए) और (बी) में निर्धारित दो अतिरिक्त कारणों के लिए विदेशी पुरस्कार। खंड (1) के उपखंड (ए) से (ई) और अनुच्छेद 5 के खंड (2) के उपखंड (ए) और (बी) में निर्धारित आधारों में से कोई भी एक को अभिनिर्धारित नहीं करता है।

योग्यता के आधार पर पुरस्कार को चुनौती देना।

35. अल्बर्ट जान वैन डेन बर्ग अपने ग्रंथ द न्यूयॉर्क में

1958 का मध्यस्थता समझौताः एक वर्दी की ओर न्यायिक व्याख्या ने यह विचार व्यक्त किया हैः

' यह एक आम तौर पर स्वीकृत व्याख्या है

कन्वेंशन कि वह न्यायालय जिसके समक्ष प्रवर्तन

विदेशी पुरस्कार की मांग की जाती है, हो सकता है कि पुरस्कार के गुणों की समीक्षा न की जाए। मुख्य कारण यह है कि प्रवर्तन से इनकार करने के लिए आधारों की विस्तृत सूची

अनुच्छेद V में वास्तव में या कानून में मध्यस्थ द्वारा की गई गलती शामिल नहीं है। इसके अलावा, कन्वेंशन के तहत प्रवर्तन न्यायाधीश का कार्य सीमित है। उसके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला नियंत्रण यह सत्यापित करने तक सीमित है कि क्या अनुच्छेद 5 (1) से इनकार करने के आधारों के आधार पर प्रतिवादी की आपत्ति उचित है और क्या पुरस्कार का प्रवर्तन उसके देश की कानून की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन करेगा। इस सीमा को प्रकाश में देखा जाना चाहिए

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का सिद्धांत कि

राष्ट्रीय न्यायालय को विषय वस्तु में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए

मध्यस्थता '। ( पी। 269)

5. इसी तरह एलन रेडफर्न और मार्टिन हंटर ने कहा हैः

' न्यूयॉर्क कन्वेंशन किसी भी समीक्षा की अनुमति नहीं देता है

एक पुरस्कार के गुण जिन पर कन्वेंशन लागू होता है और इस संबंध में, इसलिए, एक पुरस्कार की चुनौती को नियंत्रित करने वाली राष्ट्रीय कानून की कुछ प्रणालियों के प्रावधानों से अलग है, जहां कानून के बिंदुओं पर अदालतों में अपील की अनुमति दी जा सकती है। ( रेडफर्न एंड हंटर, लॉ एंड प्रैक्टिस अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, द्वितीय संस्करण। , पी। 461. )

37. इसलिए, हमारी राय में, विदेशी पुरस्कार अधिनियम, 1961 के तहत एक विदेशी पुरस्कार को लागू करने की कार्यवाही में, अदालत के समक्ष जांच का दायरा जिसमें पुरस्कार को लागू करने की मांग की जाती है, अधिनियम की धारा 7 में उल्लिखित आधारों तक सीमित है और यह उक्त कार्यवाही में एक पक्ष को गुण-दोष के आधार पर पुरस्कार पर महाभियोग चलाने में सक्षम नहीं बनाता है।

***

65. इसका तात्पर्य यह होगा कि सार्वजनिक नीति की रक्षा जो धारा 7 (1) (बी) (ii) के तहत अनुमेय है, का अर्थ लगाया जाना चाहिए

संकीर्ण रूप से। इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि 1927 के जिनेवा कन्वेंशन अधिनियम के अनुच्छेद I (e) के तहत, इस आधार पर मध्यस्थता पुरस्कार के प्रवर्तन पर आपत्ति उठाने की अनुमति है कि पुरस्कार की मान्यता या प्रवर्तन सार्वजनिक नीति या उस देश के कानून के सिद्धांतों के विपरीत है जिसमें उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। इसी प्रभाव के लिए 1837 के प्रोटोकॉल और कन्वेंशन अधिनियम की धारा 7 (1) में प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन सार्वजनिक नीति या भारत के कानून के विपरीत नहीं होना चाहिए। चूँकि "सार्वजनिक नीति" शब्द उस क्षेत्र को शामिल करता है जो "और भारत के कानून" शब्दों द्वारा कवर नहीं किया गया है जो उक्त अभिव्यक्ति का पालन करते हैं, अकेले कानून का उल्लंघन सार्वजनिक नीति के प्रतिबंध को आकर्षित नहीं करेगा और कानून के उल्लंघन से अधिक कुछ आवश्यक है।

66. 1958 के न्यूयॉर्क सम्मेलन का अनुच्छेद V (2) (b) और

विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 (1) (बी) (ii) किसी विदेशी पुरस्कार को मान्यता देने और लागू करने से इनकार करने को इस आधार पर अभिनिर्धारित नहीं करती है कि यह प्रवर्तन के देश के कानून के विपरीत है और चुनौती का आधार उस देश की सार्वजनिक नीति के विपरीत मान्यता और प्रवर्तन तक सीमित है जिसमें पुरस्कार लागू किया जाना निर्धारित है। यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V (2) (b) और विदेशी पुरस्कार अधिनियम की धारा 7 (1) (b) (ii) में "सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति का उपयोग उसी अर्थ में नहीं किया गया है जिसमें इसका उपयोग 1927 के जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद I (c) और 1937 के प्रोटोकॉल और कन्वेंशन अधिनियम की धारा 7 (1) में किया गया था। इसका मतलब यह होगा कि

" धारा 7 (1) (बी) (बी) में सार्वजनिक नीति का उपयोग संकीर्ण अर्थों में किया गया है और सार्वजनिक नीति के प्रतिबंध को आकर्षित करने के लिए

पुरस्कार के प्रवर्तन को आई. एन. आई. बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी. से कुछ अधिक का आह्वान करना चाहिए।

लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

भारत के कानून का उल्लंघन। चूंकि विदेशी पुरस्कार अधिनियम है

विदेशी पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन से संबंधित

जो निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों द्वारा शासित होते हैं,

विदेश मंत्रालय की धारा 7 (1) (बी) (ii) में "सार्वजनिक नीति" अभिव्यक्ति

पुरस्कार अधिनियम का अनिवार्य रूप से इस अर्थ में अर्थ लगाया जाना चाहिए -

सार्वजनिक नीति का सिद्धांत निजी अंतर्राष्ट्रीय के क्षेत्र में लागू किया जाता है।

कानून। उक्त मानदंड को लागू करते हुए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि प्रवर्तन

किसी विदेशी पुरस्कार को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाएगा कि वह

सार्वजनिक नीति के विपरीत यदि ऐसा प्रवर्तन विपरीत होगा (i) भारतीय कानून की मौलिक नीति; या (ii) के हितों के लिए

भारत; या (iii) न्याय या नैतिकता।

( सांगयोंग में जोर दिया गया)

41. इसी तरह, विजय करिया बनाम में। प्रिस्मियन कवि ई सिस्टेमी एस. आर. एल.,

) ) 11 एस. सी. सी. 1 ["विजय करिया"], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

24. दोनों पक्षों के व्यापक तर्कों का उल्लेख करने से पहले,

इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि मध्यस्थता की धारा 37 के विपरीत

अधिनियम, जो उक्त अधिनियम के भाग I में निहित है, और जो प्रदान करता है

एक को अलग करने या अलग करने से इनकार करने के खिलाफ अपील " घरेलू मध्यस्थता पुरस्कार, विधायी नीति जहाँ तक

विदेशी पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन एक अपील है

मान्यता देने और लागू करने से इनकार करने वाले निर्णय के खिलाफ प्रदान किया जाता है

एक विदेशी पुरस्कार लेकिन इसके विपरीत नहीं (यानी एक आदेश)

एक पुरस्कार को मान्यता देना और लागू करना)। ऐसा इसलिए है क्योंकि नीति

अधिनियम और जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। यह इसके अनुरूप है तथ्य यह है कि भारत मान्यता पर समझौते का हस्ताक्षरकर्ता है

और विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों का प्रवर्तन, 1958 (इसके बाद "न्यूयॉर्क कन्वेंशन" के रूप में संदर्भित) और इसके माध्यम से इरादा रखता है

यह कानून-यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक व्यक्ति जो एक से संबंधित है

कन्वेंशन देश, और जो, ज्यादातर मामलों में, एक से गुजरा है

उक्त पुरस्कार को उसके मूल देश में चुनौती देने की प्रक्रिया, तब ऐसे पुरस्कार को मान्यता प्राप्त करने और लागू करने में सक्षम होना चाहिए

भारत जितनी जल्दी हो सके। यह इसलिए है ताकि ऐसा व्यक्ति आनंद ले सके

एक पुरस्कार का फल जिसे चुनौती दी गई है और जिसे चुनौती को इसके मूल देश में अस्वीकार कर दिया गया है, विषय [2021] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 48 के तहत प्रवर्तन का विरोध करने के लिए आधार

मध्यस्थता अधिनियम। .....

XXX XXX XXX

44. वास्तव में, इस दृष्टिकोण ने अन्य क्षेत्राधिकारों में भी अपनी सराहना की है। इस प्रकार, सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड बनाम। हबीबुल्लाह कोस्टल पावर कं. (पीटीई) लिमिटेड [सुई सदर्न गैस कं. लिमिटेड v. हबीबुल्लाह कोस्टल पावर कं. (पीटीई) लिमिटेड, 2010 एसजीएचसी 62], सिंगापुर उच्च न्यायालय ने मॉडल कानून की विधायी नीति निर्धारित करने के बाद कहा कि "सार्वजनिक नीति" अपवाद को संकीर्ण रूप से देखा जाना चाहिए और यह कि एक मध्यस्थता पुरस्कार जो केवल अंतरात्मा को झकझोर देता है। एक तरफ रखा गया, पकड़ में चला गयाः

" 48. इसलिए, यह स्पष्ट है कि एस. एस. जी. सी. को सार्वजनिक नीति के तर्क पर सफल होने के लिए, उसे बहुत उच्च सीमा को पार करना पड़ा और भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी या धोखाधड़ी जैसी गंभीर परिस्थितियों का प्रदर्शन करना पड़ा, जो नैतिकता और न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं का उल्लंघन करेंगे। एस. एस. जी. सी. द्वारा इस तरह का कुछ भी अनुरोध या साबित नहीं किया गया था, और इसका अस्पष्ट तर्क कि पुरस्कार "विकृत" या "तर्कहीन" था, अपने आप में, सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं हो सकता था। "

XXX XXX XXX

50. अमेरिकी मामलों से पता चलता है कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन के "प्रवर्तन समर्थक पूर्वाग्रह" को देखते हुए, जिसे मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 48 में अपनाया गया है-पक्षों पर सबूत का बोझ है

प्रवर्तन की मांग करने वाले पक्षों को अब प्रवर्तन पर आपत्ति करने वाले पक्षों पर रखा गया है न कि दूसरे तरीके से; शामिल देश की सार्वजनिक नीति की आड़ में, विदेशी पुरस्कारों को पक्षों के समझौते की मध्यस्थ की व्याख्या का दूसरा अनुमान लगाकर अलग नहीं किया जा सकता है; प्राथमिक अधिकार क्षेत्र में चुनौती प्रक्रिया अदालतों को न्यूयॉर्क कन्वेंशन में निहित संकीर्ण प्रतिबंधात्मक आधारों की तुलना में एक पुरस्कार में हस्तक्षेप करने के लिए अधिक छूट देती है जब एक विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन का विरोध किया जाता है।

42. इन मापदंडों को देखते हुए, आइए हम धारा 48 (1) (ए) के संबंध में लैंट के तर्कों की जांच करें। यदि शाब्दिक रूप से पढ़ा जाए, तो 48 (1) (ए) पर केवल समझौते के पक्षों के असमर्थ होने की बात की गई है, या समझौता उस कानून के तहत अमान्य है जिसके लिए

उन्होंने इसे अधीन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक गैर-पक्ष यह आरोप लगाते हुए कि यह जेमिनि बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी. के तहत दिए गए पुरस्कार से बाध्य नहीं हो सकता है।

लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

ऐसा समझौता, धारा 48 (1) (ए) के शाब्दिक निर्माण से बाहर है। साथ ही, यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जबकि धारा 44 एक

"व्यक्तियों" के बीच मतभेदों पर मध्यस्थ निर्णय, धारा 48 (1) (ए) केवल धारा 44 (ए) में निर्दिष्ट समझौते के "पक्षों" को संदर्भित करता है। इस प्रकार, "व्यक्ति" शब्द को लागू करके समझौते में गैर-पक्षों को शामिल करना धारा 48 (1) (ए) की स्पष्ट भाषा के विपरीत होगा, जब इसे धारा 44 के साथ पढ़ा जाता है। साथ ही, यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये आधार हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं की जा सकती है। आधार अपने आप में विशिष्ट हैं, और केवल पक्षों की अक्षमता और उस कानून के तहत अमान्य होने के समझौते की बात करते हैं जिसके अधीन पक्षों ने इसे किया है। गैर-पक्षों को इस मैदान के भीतर लाने का प्रयास एक गोल छेद में एक वर्गाकार खूंटी लगाने का प्रयास करना है।

43. इस तथ्य के अलावा कि धारा 48 (1) (ए) को विद्वान एकल न्यायाधीश या खंड पीठ के समक्ष नहीं रखा गया था, आइए हम डल्ला (ऊपर) के फैसले की जांच करें जो उचित प्रतीत होता है।

धारा 48 (1) (ए) के तहत विदेशी पुरस्कार पर समझौते की आपत्ति के लिए एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता को लाना।

44. दल्लाह के मामले (ऊपर) में, एक सऊदी कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम के मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत एक पुरस्कार को लागू करने के लिए अनुमति के लिए आवेदन किया। पाकिस्तान सरकार के एक मंत्रालय के खिलाफ। कोई शक नहीं था।

बाध्य होना था, एक गैर-पक्ष एक बाहरी व्यक्ति था। न्यायाधिकरण का पुरस्कार उस मामले के तथ्यों को इस प्रकार रखा गया थाः ( दल्लाह का पैरा 146)

" निश्चित रूप से, उपरोक्त में से कई तथ्यात्मक तत्वों को यदि अलग किया जाता है और विखंडित तरीके से लिया जाता है, तो इस खंड के उद्देश्य के लिए पर्याप्त निर्णायक नहीं माना जा सकता है। हालांकि, डॉ. महमूदानी का मानना है कि जब सभी प्रासंगिक तथ्यात्मक होते हैं तत्वों को समग्र रूप से विश्व स्तर पर देखा जाता है, ऐसे तत्व सबूतों का एक व्यापक समूह बनाते हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है [2021] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह निष्कर्ष निकालने पर कि प्रतिवादी समझौते का एक सच्चा पक्ष है

वर्तमान मध्यस्थता के तहत दावेदार के साथ उत्पन्न हुआ है कार्यवाही। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए डॉ. शाह और लॉर्ड

ध्यान दें कि वे कुछ हिचकिचाहट के साथ ऐसा करते हैं, यह देखते हुए कि

मामला रेखा के बहुत करीब है। 45. इसे पैरा 146 में "कमजोर निष्कर्ष" के रूप में संदर्भित किया गया था, और

किसी भी मामले में फ्रांसीसी कानून के अनुरूप नहीं था क्योंकि अहंकार परिवर्तन का सिद्धांत समझौते के पक्षों के सामान्य इरादे से पूरी तरह से अलग था जो फ्रांसीसी कानून के तहत आवश्यक था। परिणामस्वरूप, मध्यस्थता पुरस्कार को यू. के. अधिनियम की धारा 103 (2) (बी) के तहत अलग कर दिया गया था, जो काफी हद तक भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 48 (1) (ए) के समान है।

46. लॉर्ड मैन्स जे. एस. सी. के प्रमुख निर्णय ने तथ्यों को निर्धारित किया

और न्यायालय के समक्ष इस प्रकार प्रश्न रखाः

2 ..... न्यायाधिकरण ने 26 जून 2001 के पहले आंशिक निर्णय में

यह निष्कर्ष निकाला कि सरकार समझौते का एक सच्चा पक्ष थी और इस प्रकार मध्यस्थता खंड द्वारा बाध्य, और ताकि न्यायाधिकरण

के खिलाफ दल्ला के दावे को निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र था

सरकार। अंग्रेजी अदालतों के समक्ष केंद्रीय मुद्दा यह है कि क्या

सरकार यह स्थापित कर सकती है कि फ्रांसीसी कानून के सिद्धांतों को लागू करते हुए, की ओर से ऐसा कोई "सामान्य इरादा" नहीं था

सरकार और डल्ला सरकार को एक पक्ष बना देंगे।

47. विद्वान न्यायाधीश ने तब पैरा 11 में उल्लेख किया कि तर्क

न्यायाधिकरण के समक्ष यह कहा गया था कि न्यास या तो परिवर्तनकारी था

का अहंकार

पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान सरकार ट्रस्ट की उत्तराधिकारी थी। चूंकि 'अहं परिवर्तन' तर्क को न्यायाधिकरण का समर्थन मिला, और चूंकि इसे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आगे नहीं बढ़ाया गया था, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक था कि निर्णय खराब था। पैरा 31 में लॉर्ड मैन्स जे. एस. सी. ने स्पष्ट किया कि एक अदालत ने एक मुद्दे को अपने हाथ में ले लिया है।

धारा 103 (2) (बी) के तहत एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के तर्क और निष्कर्ष की सावधानीपूर्वक और ब्याज दोनों के साथ जांच की जाएगी, जिसने तथ्यों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इसी तरह की जांच की है।

48. एक अलग सहमत निर्णय में, लॉर्ड कॉलिन्स ऑफ

मैप्सबरी जे. एस. सी. ने निर्धारित किया कि क्यों, उनके लॉर्डशिप की राय में, लेख

न्यूयॉर्क कन्वेंशन का वी (1) (ए) (यूके अधिनियम की धारा 103 (2) (बी) और भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 48 (4) (ए) के बराबर)

निम्नलिखित रूप में आकर्षित किया जाएगाः

- जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

77 यद्यपि अनुच्छेद 5 (1) (ए) (और धारा 103 (2) (बी) स्पष्ट रूप से केवल उस मामले से संबंधित है जहां मध्यस्थता समझौता मान्य नहीं है,

निरंतर अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास से पता चलता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है

कि यह उस मामले को भी शामिल करता है जहाँ एक पक्ष दावा करता है कि समझौता

उस पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि वह पार्टी कभी भी एक पक्ष नहीं थी मध्यस्थता समझौता। इस प्रकार दर्दाना लिमिटेड बनाम यूकोस ऑयल कंपनी

[ 2002 ] 2 लॉयड के प्रतिनिधि 326 ने अपील न्यायालय द्वारा यह स्वीकार किया कि धारा 103 (2) (बी) उस मामले में लागू होती है जहां प्रश्न था

क्या एक स्वीडिश पुरस्कार इंग्लैंड में इसके खिलाफ लागू करने योग्य था युकोस इस आधार पर कि, हालांकि यह एक हस्ताक्षरकर्ता नहीं था, इसने अपने आचरण से खुद को अनुबंध के लिए एक अतिरिक्त पक्षकार बना दिया था।

निगम (2005) 404 एफ 3 डी 657 मुद्दा, एक के प्रवर्तन पर मिस्र का पुरस्कार, क्या एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता मूल कंपनी थी

एक मध्यस्थता समझौते द्वारा इस आधार पर बाध्य था कि इसके सहायक, जिसने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, केवल एक मुखौटा था;

और चीन में मिनमेटल्स मैटेरियल्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड v

ची मेई कॉर्प (2003) 334 एफ 3 डी 274 एक चीनी का प्रवर्तन

पुरस्कार का इस आधार पर विरोध किया गया था कि समझौता एक था

जालसाजी। बोर्न, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता भी देखें।

( 2009 ) , खण्ड II, पीपी 2778-2779।

49. धारा 48 (1) (ए) पर निष्कर्ष को देखते हुए जब इसके साथ पढ़ा जाता है

मध्यस्थता अधिनियम 1996 की धारा 44 में कहा गया है कि हम धारा 48 (1) (ए) के तहत किसी विदेशी पुरस्कार के बाध्यकारी होने पर गैर-हस्ताक्षरकर्ता की आपत्ति को फिट करने की कोशिश में "अंतर्राष्ट्रीय प्रथा" का पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम तथ्यों के साथ-साथ कानून पर भी दल्ला के मामले को अलग करते हैं-एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता की आपत्ति संभवतः धारा 48 (1) (ए) में फिट नहीं हो सकती है जैसा कि हमारे द्वारा ऊपर माना गया है। इस समस्या पर गहराई से विचार किए बिना, एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता के लिए अपने मामले को स्पष्टीकरण 1 (iii) के साथ पठित धारा 48 (2) के भीतर लाना उचित हो सकता है, जैसा कि सांगयोंग (ऊपर) में समझाया गया है (सांगयोंग में पैरा 70 और 76 देखें)।

50. श्री विश्वनाथन ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया

विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया ने आई. एम. सी. एविएशन सॉल्यूशंस पीटीवाई लिमिटेड बनाम एल्टेन खुडर एल. एल. सी. [2011] वी. एस. सी. ए. 248 के मामले में यह प्रस्तुत करने के लिए कि जहां कोई पक्ष इस आधार पर विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन का विरोध करता है कि वह मध्यस्थता समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, तो लागू करने वाला न्यायालय स्वयं अधिकार क्षेत्र के प्रश्न की जांच करने के लिए बाध्य है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

51. उक्त मामले में, विक्टोरिया के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमोदन के साथ डल्ला के मामले का हवाला देते हुए कहा कि उस मामले में विदेशी पुरस्कार

उस पक्ष के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है जो हस्ताक्षरकर्ता नहीं था

मध्यस्थता समझौता। यह निर्णय इस तर्क पर आधारित था कि ऑस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिनियम, 1974 की धारा 8 (5) (बी) में दिखाई देने वाले शब्द 'मध्यस्थता समझौता वैध नहीं है' (जो भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 48 (1) (ए) के बराबर है) में यह आधार शामिल है कि 'पुरस्कार-देनदार मध्यस्थता समझौते का पक्षकार नहीं था'।

52. ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऑस्ट्रेलियाई अधिनियम यानी ऑस्ट्रेलियाई अधिनियम की धारा 8 (1) में एक महत्वपूर्ण अंतर है। भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 46 के अनुरूप) जिसमें कहा गया है कि "एक विदेशी पुरस्कार बाध्यकारी है. उस मध्यस्थता समझौते के पक्षों पर जिसके अनुसरण में यह किया गया था"।

53. विक्टोरिया का सर्वोच्च न्यायालय, शुरू में इस बात पर कुछ संदेह व्यक्त करने के बाद कि क्या 'समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना' एक आधार हो सकता है

जिसे धारा 8 (5) (बी) के तहत प्रचार किया जा सकता है, यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि धारा 8 (1) स्पष्ट रूप से गैर-कानूनी व्यक्तियों के खिलाफ विदेशी पुरस्कारों को लागू करने का इरादा नहीं रखती है।

हस्ताक्षरकर्ता, ऐसी याचिका को धारा 8 (5) (बी) के दायरे में लाया जा सकता है। प्रासंगिक पैरास इस प्रकार हैं:

135 हमारी राय में, पहले चरण में, पुरस्कार लेनदार को न्यायालय को निम्नलिखित मामलों के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट करना चाहिए, जिसके लिए न्यायालय पुरस्कार को लागू करने का आदेश दे सकता है:

( बी) पुरस्कार एक मध्यस्थता समझौते के अनुसार किया गया था; और

( ग) पुरस्कार लेनदार और पुरस्कार देनदार पक्षकार हैं।

मध्यस्थता समझौता।

XXX XXX XXX

156 तीसरा, धारा 8 (1) धारा 8 की योजना में प्रमुखता से दिखाई देती है। यह

आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह अधिनियम के भाग II की विषय वस्तु को परिभाषित करता है, अर्थात्, अधिनियम के आधार पर, एक विदेशी मध्यस्थता पुरस्कार मध्यस्थता समझौते के पक्षों के लिए बाध्यकारी है।

जिसे बनाया गया था '। इस प्रकार जो बाध्यकारी है उसकी पहचान करने में, एस. आई. एन. आई. बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

8 ( 1 ) धारा 8 (2) के अनुसार न्यायालय की अधिकारिता को लागू करने के लिए सीमित करता है

जिस मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में यह किया गया था, उसके पक्षकार के विरुद्ध विदेशी मध्यस्थता पुरस्कार।

159 तार्किक रूप से, धारा 8 (5) (बी) में 'मध्यस्थता समझौता मान्य नहीं है' अभिव्यक्ति इस आधार को समायोजित करने के लिए अनुपयुक्त हो सकती है कि कोई व्यक्ति मध्यस्थता समझौते का पक्षकार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि

एक व्यक्ति जो यह स्थापित करना चाहता है कि वह किसी समझौते का पक्षकार नहीं है, उसके पास आरोप लगाने के लिए कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार नहीं हो सकता है।

समझौते की वैधता। यह समझौता पक्षकारों के बीच वैध हो सकता है और किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होता है जो इसका पक्षकार नहीं है। एक व्यक्ति जो यह स्थापित करता है कि वह एक मध्यस्थता समझौते का पक्षकार नहीं है, इस प्रकार यह स्थापित नहीं करता है कि मध्यस्थता समझौता वैध नहीं है।

160 छठा, समग्र रूप से धारा 8 (5) का पठन इंगित करता है कि

जो 'मध्यस्थता समझौते के एक पक्ष' को संदर्भित करता है, और धारा 8 (5) (च), जो मध्यस्थता समझौते के पक्षों को संदर्भित करता है '। अगर ये प्रावधानों को शाब्दिक रूप से पढ़ा जाता है, उनके द्वारा कवर किए गए आधार केवल मध्यस्थता समझौते के पक्षों के लिए उपलब्ध हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि इन प्रावधानों को इतना सीमित क्यों किया जाना चाहिए यदि यह इरादा है

एक ऐसे व्यक्ति को अनुमति देने के लिए अधिनियम जो आरोप लगाता है कि वह पुरस्कार के प्रवर्तन का विरोध करने के लिए मध्यस्थता समझौते का पक्षकार नहीं है

धारा 8 (5) के तहत।

XXX XXX XXX

165 यह नहीं कहा जा सकता है कि यह आधार कि पुरस्कार देनदार उस मध्यस्थता समझौते का पक्षकार नहीं था, जिसके अनुसरण में पुरस्कार दिया गया था, उदाहरण के लिए, इस आधार से अधिक महत्वपूर्ण है कि जिस मध्यस्थता समझौते के अनुसार पुरस्कार दिया गया था वह वैध नहीं था। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि एक पुरस्कार देनदार के पास व्यथित होने का अधिक औचित्य है क्योंकि यह कहता है कि यह एक पुरस्कार देनदार की तुलना में मध्यस्थता समझौते का एक पक्ष नहीं था जो यह कहता है कि मध्यस्थता समझौता अमान्य था।

क्योंकि यह जाली थी या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी। यदि मध्यस्थता समझौते के सामने जालसाजी या धोखाधड़ी स्पष्ट नहीं है, [2021] 7 एस. सी. आर.

और पुरस्कार को लागू करने के लिए एक एकतरफा आदेश दिया जाता है, पुरस्कार ऋणी के पास धारा 8 (5) (बी) के तहत अदालत को यह समझाने की जिम्मेदारी होगी कि मध्यस्थता समझौता एक जालसाजी थी या इसके द्वारा प्राप्त किया गया था

धोखाधड़ी। एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई औचित्य नहीं है, जहां मध्यस्थता समझौते के सामने, पुरस्कार देनदार उस समझौते का एक पक्ष था।

166 चौथा, 'मध्यस्थता समझौता वैध नहीं है' अभिव्यक्ति का सामान्य और स्वाभाविक अर्थ यह है कि मध्यस्थता समझौते का संबंधित कानून के तहत कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। एक व्यक्ति जो यह दावा करता है कि वह मध्यस्थता समझौते का पक्षकार नहीं है

वास्तव में, यह कहते हुए कि मध्यस्थता समझौते का उसके खिलाफ कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। तदनुसार, धारा 8 (5) (बी) को इस आधार को शामिल करने के लिए लिया जा सकता है कि पुरस्कार देनदार एक पक्षकार नहीं था।

उस मध्यस्थता समझौते के लिए जिसके अनुसरण में पुरस्कार दिया गया था।

XXX XXX XXX

समझौता, हम सम्मानपूर्वक उस दृष्टिकोण से सहमत हैं जो किया गया है यूनाइटेड किंगडम में अपनाया गया।

172 डल्लाह में, लॉर्ड कॉलिन्स जे. एस. सी. ने कहा कि कन्वेंशन के अनुच्छेद V के पैरा 1 (ए) के बावजूद, जो अधिनियम की धारा 8 (5) (बी) में परिलक्षित होता है-स्पष्ट रूप से केवल उस मामले से संबंधित है जहां मध्यस्थता समझौता मान्य नहीं है।

अभ्यास से पता चलता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उस मामले को भी शामिल करता है जहां एक पक्ष दावा करता है कि समझौता उस पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि वह पक्ष कभी भी मध्यस्थता समझौते का पक्ष नहीं था। इस प्रस्ताव के समर्थन में लॉर्ड कॉलिन्स जे. एस. सी. ने दर्दना का उल्लेख किया।

लिमिटेड बनाम यूकोस ऑयल कंपनी। उस मामले में, मैन्स एलजे ने कहा कि '[i] टी स्पष्ट है, और हमारे सामने प्रभावी रूप से सामान्य आधार था, कि [यूके

अधिनियम की धारा 8 (5) (बी) के समतुल्य] एक वाहन है जो वर्तमान अपीलार्थियों को मान्यता और प्रवर्तन को चुनौती देने में सक्षम बनाता है। स्वीडिश पुरस्कार का, यह कहते हुए कि वे कभी भी [मध्यस्थता समझौते] का पक्ष नहीं बने '

XXX XXX XXX

272 ऊपर [166] और [171] से [172] तक यह याद किया जाएगा कि 'मध्यस्थता समझौता मान्य नहीं है' शब्द जेमिनी बे ट्रांस्क्रिप्शन पी. वी. टी. की धारा 8 (5) (बी) में हैं।

लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

अधिनियम में यह आधार शामिल है कि पुरस्कार देनदार एक पक्ष नहीं था

मध्यस्थता समझौते के लिए।

( जोर दिया गया)

54. यह मामला धारा 48 (1) (ए) का अर्थ लगाते समय लागू नहीं होता है।

दल्ला के समान कारण से मध्यस्थता अधिनियम, 1996 लागू नहीं होता है।

55. वास्तव में, एलो वेरा में सिंगापुर उच्च न्यायालय

अमेरिका, इंक बनाम एशियन फूड (एस) पीटीई लिमिटेड और ए. एन. आर. , [ 2006 ] एस. जी. एच. सी. 78, हमारे समान तथ्यों पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सिंगापुर अधिनियम की धारा 48 (1) (ए) के समतुल्य को आकर्षित नहीं किया जाएगा।

56. इस मामले के तथ्यों में, अमेरिका, इंक. ["एवीए"] के एलो वेरा,

टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के तहत निगमित और मौजूदा कंपनी,

एलो वेरा उत्पादों के निर्माता और वितरक थे। श्री चियु नामक एक व्यक्ति को ए. वी. ए. द्वारा उपरोक्त उत्पादों के स्वतंत्र वितरक के रूप में नियुक्त किया गया था। जब ए. वी. ए. ने अपने सिंगापुर कार्यालय को बंद करने का फैसला किया, तो श्री चीव ने ए. वी. ए. को ए. वी. ए. के सिंगापुर संचालन को संभालने के लिए राजी किया। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए एशियाई खाद्य (एस) पीटीई लिमिटेड ["एशियाई"] की स्थापना की।

जिसके परिणामस्वरूप, ए. वी. ए. और एशियाई के बीच एक विशेष आपूर्ति, वितरण और लाइसेंस समझौता किया गया। श्री चीव ने एशियाइ की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को बाद में समाप्त कर दिया गया, ए. वी. ए. ने एशियाई और श्री चीव दोनों के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की। श्री चीव ने यह स्थिति ली कि समझौते का एक पक्ष नहीं होने के नाते, वह मध्यस्थता या व्यक्तिगत रूप से उन पर लागू होने वाले एरिजोना के कानूनों के लिए सहमत नहीं थे। हालाँकि, विद्वान मध्यस्थ ने अपने पुरस्कार में एशियाई और श्री चीव दोनों को ए. वी. ए. हर्जाने, मुआवजे, प्रशासनिक शुल्क और खर्चों का भुगतान करने का आदेश दिया। इस तथ्य की स्थिति में, जब सिंगापुर इंटरनेशनल की धारा 31 (2) (बी) मध्यस्थता अधिनियम ["सिंगापुर अधिनियम"] (भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 48 (1) (ए) के समतुल्य) को विदेशी पुरस्कार पर श्री चीव की आपत्ति के समर्थन में दबाया गया था, सिंगापुर उच्च न्यायालय ने कहाः -

61. सबसे पहले, यह याद रखना चाहिए कि धारा 31 (2) के तहत अधिनियम, यह वह पक्ष है जो चाहता है कि अदालत प्रवर्तन से इनकार करे

वह पुरस्कार जिसे स्थापित करने का भार है

अस्वीकृति के लिए आधार मौजूद हैं। उप-धारा (2) (बी) पर कॉल करता है

यह स्थापित करने के लिए चुनौती देने वाला कि विचाराधीन मध्यस्थता समझौता यह उस कानून के तहत मान्य नहीं है जिसके तहत पक्षों ने इसे लागू किया है। में।

इस मामले में, मध्यस्थता समझौता के कानून के अधीन था

एरिजोना और इसलिए श्री चीव ने [2021] 7 एस. सी. आर. की स्थापना का बोझ उठाया।

कि यह एरिजोना के कानून के तहत मान्य नहीं था और एरिजोना के कानून के तहत समझौते के खंड उसके लिए कोई आवेदन नहीं कर सकते थे। इस स्थिति में मेरे लिए समझौते के अनुच्छेद 13.7 या किसी अन्य खंड का उसी तरह से अर्थ लगाना सही नहीं होगा जैसे मैं यह स्थापित करने के लिए कर सकता था कि क्या श्री च्यू को बाध्य करने वाला कोई वैध मध्यस्थता समझौता था। 62. यही तर्क सहायक पंजीयक के समक्ष लाया गया था, जिन्होंने सही निर्णय दिया था कि क्या कोई वैध मध्यस्थता समझौता था, इस मुद्दे को विदेशी कानून के आधार पर निर्धारित किया जाना था। उन्होंने यह भी माना कि श्री चीव पर अपने तर्क को स्थापित करने के लिए सबूत पेश करने का बोझ था। सहायक पंजीयक ने पाया कि श्री चीव इस तरह के सबूत पेश करने में विफल रहे थे। इसके विपरीत, साक्ष्य से पता चलता है कि श्री चीव ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और एशियाई दौड़ में भी सक्रिय थे। सहायक पंजीयक को अमेरिकी जिला न्यायालय के तर्क से समर्थन मिला

सरहंक मामले में निर्णय [सरहंक समूह बनाम ओरेकल निगम ने ईयरबुक कॉम अरब/एन XXVIII (2003) पी 1043 में रिपोर्ट किया]। बैट्स जे, जिन्होंने पहली बार में इसका फैसला किया, ने कहाः

[ टी] अदालत को एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पुरस्कार लागू करने के लिए कहा गया है जिसमें मध्यस्थता पहले से ही स्थापित की जा चुकी है

मिस्र के कानून। ..... [ कन्वेंशन. दूसरे को मंजूरी नहीं देता है-पक्ष समझौते के मध्यस्थ के निर्माण का अनुमान लगाना। ..... यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि "असाधारण परिस्थितियों" के अभाव में, एक पुष्टि करने वाली अदालत को मध्यस्थ के निष्कर्षों पर पुनर्विचार नहीं करना है।

परिस्थितियाँ हैं। हालाँकि बैट्स जे. के निर्णय को अपील न्यायालय [404 एफ 3 डी 657 (दूसरा सिर, 2005)] द्वारा उलट दिया गया होगा, मैं सम्मानपूर्वक जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी. का सम्मान करता हूँ।

लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

उनकी टिप्पणियों से सहमत हैं जो एक प्रवर्तन अदालत द्वारा लिए गए निर्णय के सामान्य दृष्टिकोण के अनुरूप हैं

विचाराधीन मध्यस्थता न्यायाधिकरण। वे हेबेई मामले में अदालत के विचारों के अनुरूप भी हैं जो इस बात को रेखांकित करते हैं कि कन्वेंशन देशों में विदेशी मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के निर्णयों के प्रति दृष्टिकोण उसी की वैधता को पहचानना और नैतिकता और न्याय की बुनियादी धारणाओं के अधीन उन्हें प्रभाव देना है। सरहंक मामले में अपील न्यायालय ने एक

अलग दृष्टिकोण, जिसका मुझे उम्मीद है कि आम तौर पर समर्थन नहीं किया जाएगा।

57. वर्तमान मामले के तथ्यों में, इस न्यायालय को धारा 48 (1) (ए) को लागू करने की आड़ में जो करने के लिए कहा जा रहा है, वह वास्तव में गुण-दोष पर समीक्षा करने के लिए है। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, डेलावेयर कानून के तहत अहंकार परिवर्तन सिद्धांत का अनुप्रयोग मुख्य रूप से तथ्यों पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मध्यस्थ द्वारा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को लागू करने पर निर्भर करेगा। यह उन्होंने न केवल दस्तावेजी साक्ष्य के साथ किया है, बल्कि आई. एस. एस. की सुश्री पार्कर, डी. एम. सी. के प्रबंध निदेशक श्री पाठक और डी. एम. सी. के अध्यक्ष अरुण देव उपाध्याय के मौखिक साक्ष्य के साथ भी किया है। इस तथ्य को देखते हुए कि विदेशी पुरस्कार इस मामले में अहंकार परिवर्तन सिद्धांत को लागू करने के लिए तथ्यों पर कारण देता है, हमारे लिए इन तथ्यों की फिर से सराहना करना संभव नहीं होगा, विशेष रूप से जब अपीलकर्ताओं पर धारा 48 (1) में बनाए गए आधारों को स्थापित करने का बोझ है, जिनमें से कोई भी मामले के गुण-दोष पर नहीं जाता है।

58. श्री विश्वनाथन ने यह भी तर्क दिया कि यह पुरस्कार विकृत है।

कि मध्यस्थ के समक्ष दावेदार के मामले के समर्थन में महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं दिया गया था। भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में एक पुरस्कार को अलग रखने के आधार के रूप में विकृति अब मध्यस्थता अधिनियम, 1996 में 2015 के संशोधन के बाद प्राप्त नहीं होती है। सांगयोंग (ऊपर) में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

41. ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक निर्णय जो विकृत है,

जैसा कि एसोसिएट बिल्डर्स v के पैरा 31 और 32 में समझा गया है। डी. डी. ए., (2015) 3 एस. सी. सी. 49, जबकि अब "भारत की सार्वजनिक नीति" के तहत चुनौती के लिए एक आधार नहीं है, निश्चित रूप से पुरस्कार के चेहरे पर दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता के बराबर होगी। इस प्रकार, बिना किसी साक्ष्य के आधार पर एक निष्कर्ष या एक पुरस्कार जो अपने निर्णय पर पहुंचने में महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी करता है, विकृत होगा और पेटेंट अवैधता के आधार पर अलग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मध्यस्थ द्वारा पक्षों की पीठ के पीछे लिए गए दस्तावेजों के आधार पर एक निष्कर्ष भी [2021] 7 एस. सी. आर. में किसी भी सबूत के आधार पर निर्णय के रूप में योग्य होगा।

क्योंकि ऐसा निर्णय पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य पर आधारित नहीं है, और

इसलिए, इसे विकृत के रूप में भी चिह्नित करना होगा।

42. इस तथ्य को देखते हुए कि संशोधित अधिनियम अब लागू होगा, और वह

मध्यस्थता पुरस्कारों को अलग रखने के लिए "पेटेंट अवैधता" आधार

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता लागू नहीं होगी, यह आवश्यक है

धारा 34 (2) (ए) (iii) में निहित आधारों का विज्ञापन करना और

( (iv) जो वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होता है।

( जोर दिया गया)

59. सांगयोंग (ऊपर) के फैसले में पैरा 29 में उल्लेख किया गया है कि

अधिनियम की धारा 48 को भी अधिनियम की धारा 34 के समान ही संशोधित किया गया है। पर दिखाई देने वाली पेटेंट अवैधता का आधार

पुरस्कार का चेहरा "चुनौती का एक स्वतंत्र आधार है जो केवल भाग I के तहत दिए गए पुरस्कारों पर लागू होता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता शामिल नहीं होती है। इस प्रकार, 2015 के संशोधन के बाद "भारत की सार्वजनिक नीति" का आधार इसके दायरे में नहीं आता है।

धारा 34 के तहत एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में एक पुरस्कार को अलग करने के लिए एक आधार के रूप में और साथ ही इनकार करने के लिए एक आधार के रूप में

धारा 48 के तहत एक विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन, एक समान सामग्री प्रावधान है जो अधिनियम के भाग II में दिखाई देता है। इसलिए इस तर्क को खारिज किया जाना चाहिए।

60. इसके बाद अपीलकर्ताओं ने धारा 48 (1) (सी) को लागू करने पर जोर दिया।

जैसा कि देखा जा सकता है, धारा 48 (1) (सी) एक ऐसे पुरस्कार से संबंधित है जो उस अंतर से संबंधित है जिस पर विचार नहीं किया गया है या जो प्रावधान की शर्तों के भीतर नहीं आता है। मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करना, या इसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुतियों के दायरे से परे मामलों पर निर्णय शामिल हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि 'मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करना' अभिव्यक्ति मुख्य रूप से मध्यस्थता को संदर्भित करेगी

समझौता (देखें ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर्स (पी) लिमिटेड बनाम। मीना विजय

खेतान, (1999) 5 पैरा 19 पर एस. सी. सी. 651, उपखंड (सी) केवल उन विवादों से संबंधित है जिन्हें मध्यस्थता के दायरे से बाहर कहा जा सकता है।

पक्षों के बीच समझौता-और यह नहीं कि क्या कोई व्यक्ति जो समझौते का पक्ष नहीं है, उसी से बाध्य हो सकता है। वास्तव में, धारा 48 (1) (सी) का परंतुक इसे और भी स्पष्ट करता है, जिसमें कहा गया है कि एक पुरस्कार को आंशिक रूप से लागू किया जा सकता है, बशर्ते कि वे मामले जो प्रावधान के बाहर हों। मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने को अलग किया जा सकता है, जिससे यह फिर से दिखाया जा सकता है कि प्रावधान का जोर यह है कि क्या पक्षों के बीच विवाद उदाहरण के लिए अपवादात्मक मामले हैं, या अन्यथा मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर हैं। सांगयोंग (ऊपर) में, इस न्यायालय ने आई. एन. आई. बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी. को संकुचित कर दिया।

लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

धारा 34 (2) (ए) (iv) में निहित चुनौती का सामना करना, जो धारा 48 (1) (सी) के साथ निम्नानुसार है।

58. जहाँ तक इस बचाव का संबंध है, इस विषय पर मानक पाठ्यपुस्तकों में कहा गया है कि "मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करना" अभिव्यक्ति या तो स्वयं मध्यस्थता समझौते को संदर्भित करती है, या विवादों को संदर्भित करती है।

मध्यस्थता को प्रस्तुत किया जाता है, और जब तक उठाए गए विवाद मध्यस्थता समझौते या मध्यस्थता को प्रस्तुत किए गए विवादों के दायरे में हैं, उन्हें ऐसे विवाद नहीं कहा जा सकता है जिन पर या तो विचार नहीं किया जाता है या जो मध्यस्थता समझौते के बाहर आते हैं। अभिव्यक्ति "मध्यस्थता के लिए समर्पण" विभिन्न में होता है

1996 के अधिनियम के प्रावधान। इस प्रकार, धारा 28 (1) (ए) के तहत, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण "... मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत विवाद का निर्णय करेगा।" 1996 के अधिनियम की धारा 43 (3) ". भविष्य के विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए एक मध्यस्थता समझौते" को संदर्भित करती है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि जहां मामले हैं, हालांकि सख्ती से मुद्दे में नहीं हैं,

वे मुद्दे के मामलों से जुड़े होते हैं, उन्हें आसानी से ऐसे मामले नहीं माना जाएगा जिन्हें बाहर या उससे परे माना जा सकता है

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने का दायरा। .....

XXX XXX XXX

67. गोवा राज्य बनाम। प्रवीण एंटरप्राइजेज, (2012) 12 एस. सी. सी. 581 (प्रवीण एंटरप्राइजेज), इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि इसका क्या अर्थ है

" मध्यस्थता का संदर्भ "निम्नानुसार हैः ( एससीसी पीपी। 587-88 , पैरा 10

11 )

" 10. " मध्यस्थता का संदर्भ "विभिन्न कृत्यों का वर्णन करता है। मध्यस्थता के लिए संदर्भ स्वयं पक्षों द्वारा या मध्यस्थता समझौते में नामित एक नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा या मध्यस्थता समझौते के लिए एक पक्ष द्वारा एक आवेदन पर एक अदालत द्वारा किया जा सकता है। हम कर सकते हैं

विस्तार सेः

( क) यदि एक मध्यस्थता समझौते में यह प्रावधान है कि अनुबंध से संबंधित पक्षों के बीच सभी विवाद (कुछ समझौते कुछ अपवादों को संदर्भित कर सकते हैं) को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा।

और यह कि मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, विचार किया गया "संदर्भ" पक्षकारों का कार्य है

मध्यस्थता समझौता, उनके विवादों को एक सहमत समझौते के लिए संदर्भित करना

विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थ।

( ख) यदि कोई मध्यस्थता समझौता प्रदान करता है कि पक्षों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, उसमें नामित एक प्राधिकरण [2021] 7 एस. सी. आर.

मध्यस्थ को नामित करेगा और उन विवादों को निर्दिष्ट करेगा जो मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाना आवश्यक है, "संदर्भ"

विचार किया गया नियुक्ति प्राधिकारी का एक कार्य है जो संदर्भित करता है

उसके द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के साथ विवाद। ( ग) जहां पक्ष मध्यस्थता समझौते द्वारा आवश्यक मध्यस्थ (ओं) की नियुक्ति में सहमत होने में विफल रहते हैं, या मध्यस्थता समझौते में नामित प्राधिकरण मध्यस्थ को नामित करने में विफल रहता है और मध्यस्थता समझौते द्वारा आवश्यक मध्यस्थता के लिए उठाए गए विवादों को संदर्भित करता है, एक पीड़ित पक्ष द्वारा एक आवेदन पर, अदालत मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकती है और

ऐसी नियुक्ति, पक्षकारों के बीच विवाद मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में ऐसे मध्यस्थ को संदर्भित किए जाते हैं।

11. मध्यस्थता का संदर्भ सभी विवादों के संबंध में हो सकता है।

पक्षकारों के बीच या किसी अनुबंध के संबंध में या विशिष्ट गणना किए गए विवादों के संबंध में सभी विवाद। कहाँ "सब" विवादों को संदर्भित किया जाता है, मध्यस्थ के पास मध्यस्थता समझौते द्वारा रखी गई किसी भी सीमा के अधीन अभिवचनों (दावे और प्रतिवाद दोनों) में उठाए गए सभी विवादों का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र होता है। जहां मध्यस्थता समझौते में यह प्रावधान है कि सभी विवादों का निपटारा मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा, लेकिन कुछ मामलों को मध्यस्थता से बाहर रखा जाएगा, तो मध्यस्थ अपवादित मामले को बाहर कर देगा और केवल उन्हीं पर निर्णय लेगा।

विवाद जो मध्यस्थता योग्य हों। लेकिन जहां मध्यस्थ का संदर्भ पक्षों/न्यायालय/नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा गिने गए विशिष्ट विवादों का निर्णय करने के लिए है, मध्यस्थ का

अधिकारिता विशिष्ट संदर्भ द्वारा सीमित है और मध्यस्थ केवल उन विशिष्ट विवादों का निर्णय ले सकता है।

68. उपरोक्त प्राधिकरणों का एक पर्यवेक्षक यह दिखाएगा कि जहां एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने एक ऐसा निर्णय दिया है जो या तो मध्यस्थता समझौते के दायरे से परे या मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित विवादों से परे मामलों का फैसला करता है, जैसा कि प्रवीण एंटरप्राइजेज में समझा गया है, मध्यस्थता निर्णय को मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से परे मामलों पर निर्णय लेने के लिए कहा जा सकता है।

69. इसलिए हम उपरोक्त अधिकारियों का अनुसरण करते हुए मानते हैं कि अनुबंध की गलत व्याख्या की आड़ में, और इसके परिणामस्वरूप

" अधिकारिता की त्रुटियाँ ", यह कहना संभव नहीं है कि यदि आई. आई. एन. आई. बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी. है तो मध्यस्थता पुरस्कार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर होगा।

लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

अन्यथा उपरोक्त गलत व्याख्या (जिसमें अनुबंध की शर्तों से परे जाना शामिल होगा) को मध्यस्थता समझौते के भीतर "विवादों" के रूप में उचित रूप से समझा जा सकता था, या जिन्हें मध्यस्थों के निर्णय के लिए संदर्भित किया गया था। जैसा कि ऊपर के अधिकारियों द्वारा समझा गया है। यदि किसी मध्यस्थ पर अनुबंध से बाहर भटकने और उसे आवंटित नहीं किए गए मामलों से निपटने का आरोप लगाया जाता है, तो यह एक अधिकार क्षेत्र की त्रुटि होगी जिसे "पेटेंट अवैधता" के आधार पर ठीक किया जा सकता है, जो, जैसा कि हमने देखा है, 1996 के अधिनियम के भाग II के तहत तय किए गए अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थताओं पर लागू नहीं होगी। 1996 के अधिनियम की धारा 28 (3) से संबंधित पिछले दरवाजे से धारा 34 (2) (ए) (iv) के तहत मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर के मामलों को लाने की अनुमति नहीं होगी क्योंकि इस आधार को संकीर्ण रूप से समझा जाना चाहिए और इसलिए इसका अर्थ लगाया जाना चाहिए, केवल मामलों को संदर्भित करना चाहिए।

जो मध्यस्थता समझौते से परे या उससे परे हैं मध्यस्थ न्यायाधिकरण का संदर्भ।

61. अमेरिका के एलो वेरा मामले (ऊपर) में, सिंगापुर न्यायालय ने सिंगापुर अधिनियम की धारा 31 (2) (डी) (जो भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 48 (1) (सी) के समतुल्य है),

नेन आयोजितः

64. धारा 31 (2) (डी) के तहत, पुरस्कार के प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है यदि यह "किसी ऐसे अंतर से संबंधित है जिस पर विचार नहीं किया गया है, या जो नहीं गिर रहा है।

की शर्तों के भीतर, मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत या प्रस्तुत करने के दायरे से परे मामले पर एक निर्णय शामिल है मध्यस्थता "।

65. श्री लोह ने कहा कि पुरस्कार को सिंगापुर में लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें उन मामलों पर निर्णय शामिल है जो इससे परे हैं।

मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने का दायरा-मध्यस्थता

समझौता ए. वी. ए. और एशियाई के बीच था और प्रस्तुत करने के लिए

मध्यस्थता केवल उन पक्षों तक ही सीमित थी। श्री चीव के साथ शामिल होना और उनके खिलाफ एक पुरस्कार में प्रवेश करना इसके दायरे से परे था मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करना। जेवोर बनाम फ्रेंकोयर [2003] बी. सी. जे. नं

480 समर्थन में उद्धृत किया गया था। इसके अलावा, श्री लोह ने कहा कि निश्चित रूप से

शिक्षाविदों (हालांकि उन्होंने मुझे केवल एक लेख का उल्लेख किया, कि प्रोफेसर वेडम-लुकिक द्वारा, "मध्यस्थता की न्यायिक समस्याएं" (1994) 1 क्रोएशियाई मध्यस्थता वार्षिक पुस्तक 51) का भी विचार था।

कि एक निर्णय जो गैर-पक्षों को मध्यस्थता के लिए बाध्य करने की मांग करता है

समझौता अनुच्छेद [2021] 7 एस. सी. आर. के तहत प्रवर्तन से इनकार करने का आधार था।

कन्वेंशन का वी (1) (सी) (अधिनियम की धारा 31 (2) (डी) के बराबर)।

66. ए. वी. ए. की ओर से, श्री ढिल्लन ने प्रस्तुत किया कि धारा 31 (2) (डी) मध्यस्थ की शक्ति या अधिकार की अधिकता के आधारों से संबंधित है। उन्होंने हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ सिंगापुर खंड 2 के पैरा 20.145 का हवाला दिया।

( लेक्सिसनेक्सिस, 2003 रीइश्यू) जहाँ लेखक ने कहा कि यह

चुनौती का आधार यह माना गया कि न्यायाधिकरण का पक्षकारों पर अधिकार क्षेत्र था और अधिकार क्षेत्र की अधिकता को मध्यस्थता समझौते के दायरे के संबंध में देखा जाना चाहिए न कि

67. श्री ढिल्लन ने आगे कहा कि धारा 31 (2) (डी) धारा 31 (2) (बी) के साथ ओवरलैप नहीं करती है जो इस आधार पर चुनौती दिए जाने पर लागू करने के लिए उचित धारा थी कि कोई व्यक्ति मध्यस्थता समझौते में पक्षकार नहीं था। उन्होंने बताया कि पीटर क्रेमर जी. एम. बी. एच. एंड कंपनी बनाम सहकारी मोलासीस ट्रेडर्स लिमिटेड [1985] आई. एल. आर. एम. 564 में, अपीलार्थी ने तर्क दिया था कि पक्षों के बीच कोई बाध्यकारी अनुबंध नहीं था और इसलिए ऐसा किया जा सकता है। मध्यस्थता के लिए विवादों को प्रस्तुत करने के लिए एक बाध्यकारी समझौता नहीं होना चाहिए। आयरिश सर्वोच्च न्यायालय में इस तर्क से निपटने के लिए, फिनले सी. जे. ने 573 में निर्णय दिया किः

मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि इस मुद्दे को ठीक से बनाया जा सकता है

दोनों में से किसी एक एस के अनुसार बचाव की विषय वस्तु। 9 ( 2 ) ( (घ) या

एस. 9 ( 2 ) ( च) 1980 के अधिनियम का। धारा 9 (2) (डी) स्पष्ट रूप से, मेरे विचार में, संदर्भित करता है।

ऐसी स्थिति में जहाँ एक निर्विवाद समर्पण है

मध्यस्थता। यदि, जैसा कि इस मामले में अपीलार्थियों द्वारा तर्क दिया गया है,

मध्यस्थता खंड वाला कोई बाध्यकारी समझौता नहीं था तब, परिभाषा के अनुसार, मध्यस्थता के लिए कोई प्रस्तुति नहीं हो सकती थी

और मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के अभाव में वहाँ हो सकता है कोई मुद्दा नहीं होगा कि क्या कोई पुरस्कार मतभेदों से संबंधित नहीं है

प्रस्तुत करने की शर्तों के भीतर विचार या गिरना या प्रस्तुतिकरण के दायरे से परे चला गया।

पीटर क्रेमर में, के आधार पर कोई चुनौती नहीं दी गई थी धारा 31 (2) (बी) के आयरिश समतुल्य लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अदालत ने उस चुनौती पर विचार नहीं किया, जो इस तर्क पर आधारित था कि एक जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

व्यक्ति किसी समझौते का पक्षकार नहीं था, जिसे एस के तहत बनाया जा सकता था

31 ( 2 ) ( बी)।

68.किसी भी मामले में, श्री ढिल्लों ने प्रस्तुत किया कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पुरस्कार उन मामलों से संबंधित है जो दायरे से बाहर थे

मध्यस्थता को प्रस्तुत करने के लिए, लागू किया जाने वाला कानून मध्यस्थता समझौते का शासी कानून होना चाहिए क्योंकि वह कानून उस तरीके को नियंत्रित करेगा जिसमें मध्यस्थता समझौते का अर्थ लगाया गया था। तदनुसार, जहां एक कन्वेंशन पुरस्कार लागू किया जाना है, पुरस्कार का विदेशी कानून लागू होगा। इस मामले में, श्री चीव ने एरिजोना कानून के आधार पर यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं लाया था कि पुरस्कार में मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के दायरे से परे एक मामले पर निर्णय शामिल था। जहां तक जेवोर बनाम फ्रेंकोयर का संबंध है, यह मामला मध्यस्थ के रूप में अपने तथ्यों के आधार पर अलग था।

वहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रत्यर्थी उसे मध्यस्थता समझौते का पक्षकार पाए बिना उत्तरदायी था।

69. श्री ढिल्लन के तर्कों पर विचार करने के बाद, मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। मैं सहायक पंजीयक से सहमत हूं कि चुनौती का यह आधार मध्यस्थता समझौते के दायरे से संबंधित है न कि इस बात से कि क्या कोई विशेष व्यक्ति उस समझौते का पक्षकार था। श्री चीव ने यह स्थापित नहीं किया है कि यह आधार इस मामले में उनका लाभ उठाता है।

62. हम समझते हैं कि यह निर्णय कानून को सही बताता है।

63. श्री विश्वनाथन ने तब इस आधार पर जोर दिया कि चूंकि वर्तमान मामले में मध्यस्थ के निर्णय में तर्क शामिल है जो था प्रकृति में अनुचित, यह एक साथ पारित नहीं होगा और यह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होगा, 'कारण' प्राकृतिक न्याय का एक हिस्सा है जैसा कि समझा जाता है

इस देश में। इसके लिए उन्होंने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 48 (1) (बी) का उल्लेख किया। धारा 48 (1) (बी) मध्यस्थता निर्णय में कारणों के अभाव की बात बिल्कुल नहीं करती है। एकमात्र आधार जिन पर धारा 48 (1) (बी) के तहत एक विदेशी पुरस्कार को लागू नहीं किया जा सकता है, वे स्वाभाविक न्याय आधार हैं जो मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थता कार्यवाही की सूचना से संबंधित हैं, या कि कोई पक्ष अन्यथा मध्यस्थता के समक्ष अपना मामला पेश करने में असमर्थ था।

न्यायाधिकरण, जो सभी पुरस्कार देने से पहले की घटनाएँ हैं। विजय करिया (उपर्युक्त) के मामले में किसी भी मामले में धारा 48 (1) (बी) का संक्षिप्त अर्थ इस प्रकार निकाला गया है:

81. इस तथ्य को देखते हुए कि धारा 48 का उद्देश्य कुछ अच्छी तरह से परिभाषित संकीर्ण अपवादों, [2021] 7 एस. सी. आर. के अधीन विदेशी पुरस्कारों को लागू करना है।

अभिव्यक्ति "अन्यथा अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ था"

धारा 48 (1) (बी) में घटित होने का विस्तृत अर्थ नहीं दिया जा सकता है और इसे शब्दों के संदर्भ और रंग में पढ़ना होगा।

मध्यस्थ द्वारा पक्षकारों को सुनवाई नहीं दी गई। धारा 48 (1) (बी) के पहले भाग के साथ पढ़ें, यह स्पष्ट है कि यह अभिव्यक्ति सुनवाई के चरण में लागू होगी, न कि पुरस्कार के बाद। वितरित किया गया, जैसा कि सांगयोंग में आयोजित किया गया है। अच्छा काम है।

यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या कोई पक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है

उनका मामला यह देखने के लिए है कि क्या पार्टी के नियंत्रण से बाहर के कारक हैं

पक्ष को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित करने के लिए संयुक्त। इस प्रकार, जहाँ नहीं

एक तर्क से निपटने का अवसर दिया गया था जो

साक्ष्य के आधार पर मामले की जड़ या निष्कर्ष जो पीछे जाते हैं

पक्षकार की पीठ और जिसके परिणामस्वरूप पक्षकार के पूर्वाग्रह के लिए न्याय से इनकार किया जाता है; या अतिरिक्त या नया साक्ष्य लिया जाता है जो उस पुरस्कार का आधार बनता है जिसके आधार पर किसी पक्षकार को खंडन का कोई अवसर नहीं दिया गया है, किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर, एक विदेशी पुरस्कार को इस आधार पर अप्रवर्तनीय बना देगा कि एक पक्षकार ने

मामला दिया गया है, और उस पुरस्कार को हमेशा समर्थन के साथ पढ़ा जाना चाहिए नष्ट करने के बजाय बनाए रखने के लिए एक झुकाव के साथ, न्यूनतम को देखते हुए

धारा 48 के तहत विदेशी पुरस्कारों में हस्तक्षेप संभव है।

64. इस निर्णय में स्पष्ट रूप से मध्यस्थता पुरस्कारों का भी उल्लेख किया गया है जिनका निम्नानुसार खराब तर्क दिया गया हैः -

24 ..... इसके अलावा, यह केवल एक बहुत ही असाधारण मामले में होगा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 की घोर अवहेलना कि

उच्चतम न्यायालय उस फैसले में हस्तक्षेप करेगा जो मान्यता देता है

और एक विदेशी पुरस्कार को लागू करता है, हालांकि अनुचित रूप से मसौदा तैयार किया गया

फैसला हो सकता है। .....

83. हालाँकि, यह कहने के बाद, यदि कोई विदेशी पुरस्कार निर्धारित करने में विफल रहता है

एक भौतिक मुद्दा जो मामले की जड़ तक जाता है या विफल रहता है

किसी दावे या प्रतिवाद को पूरी तरह से तय करें, पुरस्कार चौंकाने वाला हो सकता है।

न्यायालय की अंतरात्मा और लागू नहीं किया जा सकता है, जैसा कि था

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कैम्पोस ब्रदर्स में किया गया। फार्मस वी। मातृ

भूमि सप्लाई चेन (पी) लिमिटेड, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 8350:

( 2019 ) 261 डी. एल. टी. 201 सार्वजनिक नीति आई. आई. एन. आई. बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी. के उल्लंघन के आधार पर।

लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

भारत का, कि यह तब न्याय की सबसे बुनियादी धारणा को आहत करेगा

इस देश में। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि खराब तर्क,

जिसके द्वारा कोई भौतिक मुद्दा या दावा खारिज कर दिया जाता है, कभी भी इसमें नहीं आ सकता है इस वर्ग के मामले।

65. इस तर्क को भी खारिज किया जाता है। 66. श्री साल्वे ने तर्क दिया कि चूंकि नुकसान में यातना दी गई थी

इन मामलों में, वे मध्यस्थता के दायरे से बाहर होंगे

मन में। इस मामले में मध्यस्थता समझौता इस प्रकार हैः -

( (ii) इस समझौते के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में

इस तरह के विवाद को कैनसस शहर में एकल मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा।

मिसौरी, यू. एस. ए. के बीच समझौते द्वारा नियुक्त किया जाएगा

यहाँ पक्षकारों, या असफल समझौते के अनुसार नियुक्त किया जाना

अमेरिकन आर्बिट्रेशन, एसोसिएशन के नियम वही नियम हैं

जिसके तहत कोई भी विवाद जिसका कोई भी विवाद तय किया जाएगा।

( जोर दिया गया)

67. जैसा कि हमने इस निर्णय में पहले देखा है, धारा 44

इस तथ्य को समझते हैं कि अपकृत्य के दावों का निर्णय एक मध्यस्थ द्वारा किया जा सकता है बशर्ते कि वे विवाद हैं जो इस संबंध में उत्पन्न होते हैं

ईमेंट। इस प्रकार रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम जनरल इलेक्ट्रिक ( 1984 ) 4 एस. सी. सी. 679, इस अदालत ने फैसला सुनाया किः

39. जहां तक क्षतिपूर्ति नुकसान के तीसरे दावे का संबंध है, यह सच है। कि रेनुसागर को अपकृत्यकर्ता के रूप में इस दायित्व से जोड़ा जा रहा है,

हितधारक और/या एक रचनात्मक न्यासी, लेकिन, हमारे विचार में, कि

पहलू अपने आप में इस निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराएगा कि ऐसा नहीं है।

मध्यस्थता खंड द्वारा कवर किया गया है क्योंकि प्रश्न नहीं है क्या दावा अपकृत्य में निहित है लेकिन सवाल यह है कि क्या

यद्यपि यह अपकृत्य में निहित है, यह "उत्पन्न होता है" या "संबंधित" है

अनुबंध, अर्थात, क्या यह शर्तों से उत्पन्न होता है

रेनुसागर द्वारा जी. ई. सी. को अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए। में। दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट है कि इस दावे पर निर्णय लेने से पहले

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से पहले निर्णय लेना होगा

जी. ई. सी. द्वारा पसंद किए गए पहले दो दावे और केवल तभी जब यह पाया जाता है कि जी. ई. सी. पहली दो राशियाँ प्राप्त करने का हकदार है जो

रेनुसागर द्वारा अनुबंध की शर्तों के तहत भुगतान किया गया है लेकिन [2021] 7 एस. सी. आर.

अनुबंध की शर्तों, उसके तहत किए जाने वाले भुगतान और उसके उल्लंघनों को अनुबंध से "उत्पन्न" या "संबंधित" दावे के रूप में माना जाना चाहिए। जैसा कि हम वर्तमान में इंगित करेंगे कि इस न्यायालय ने अपने एक निर्णय में निर्धारित किया है ऐसे मामलों में प्रश्न का निर्धारण करने के लिए परीक्षण और परीक्षण यह है कि क्या उस अनुबंध का सहारा लेना आवश्यक होगा, जिसके द्वारा दोनों पक्ष बाध्य हैं, यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या विचाराधीन दावा उचित था या अन्यथा और यह परीक्षण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, तत्काल मामले में तीसरे दावे के संबंध में स्पष्ट रूप से संतुष्ट है।

40. हम, इस स्तर पर, मध्यस्थता पर रसेल में एक परिच्छेद और कुछ तय किए गए मामलों का उल्लेख कर सकते हैं जो हमारे उपरोक्त निष्कर्ष को मजबूत करते हैं। रसेल ऑन आर्बिट्रेशन (ट्वेंटिएथ एडन.) में कानून का निम्नलिखित कथन पी. 90 :

" अपकृत्य में दावे एक अनुबंध के साथ इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े हो सकते हैं कि मुख्य रूप से संविदात्मक विवादों को मध्यस्थ बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया उचित चौड़ाई का एक खंड फिर भी ऐसा प्रदान करेगा

अपराध में दावे भी मध्यस्थता योग्य हैं। "

41. वूल्फ वी. कोलिस हटाने की सेवा [(1947) 2 सभी ई. आर. 260:

( 1948 ) 1 के. बी 11: 177 एल. टी. 405 (सी. ए.)] प्रतिवादियों ने वादी के फर्नीचर और प्रभाव को लंदन से उनके घर तक हटाने का अनुबंध किया था। मार्लो में स्टोर करें और उन्हें सुरक्षित रूप से रखने और उनकी देखभाल करने के लिए, लेकिन, वादी के अनुसार, प्रतिवादियों ने इसका उल्लंघन किया था

अनुबंध, माल को एक अलग गंतव्य पर ले जाया गया जहां कुछ खो गए और अन्य क्षतिग्रस्त हो गए। वैकल्पिक रूप से वादी ने दावा किया कि प्रतिवादियों द्वारा उन्हें संग्रहीत करने के लिए एक अनुपयुक्त स्थान का उपयोग करने और उन्हें अक्षम रूप से संरक्षित करने में लापरवाही के कारण माल खो गया और क्षतिग्रस्त हो गया। मध्यस्थता के लिए उपबंध करने वाला खंड चलाः " यदि ग्राहक ठेकेदारों द्वारा किए गए किसी भी दावे पर कोई दावा करता है या उसका प्रतिवाद करता है, तो उसे दोनों मध्यस्थों के निर्णय के लिए भेजा जाएगा। सवाल यह था कि क्या हर्जाने का दावा इस खंड के दायरे में आता है। अपील न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भले ही लापरवाही का दावा अपकृत्य का दावा था और अनुबंध के तहत नहीं था, फिर भी उस दावे और लेनदेन के बीच [आई. एन. आई. बे. ट्रांस्क्रिप्शन पी. वी. टी.] लाने के लिए पर्याप्त निकट संबंध था।

लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

मध्यस्थता खंड के भीतर दावा। यह अधिकार स्पष्ट रूप से दर्शाता है

कि भले ही एक दावा सीधे अनुबंध के तहत उत्पन्न नहीं हो सकता है जिसमें एक मध्यस्थता खंड शामिल है, यदि उस दावे और अनुबंध के तहत लेनदेन के बीच पर्याप्त निकट संबंध था तो यह मध्यस्थता खंड द्वारा कवर किया जाएगा।

42. एस्ट्रो वेंसेडर में पनामा बनाम की कम्पानिया नेवेरा एसए। माबानाफ्ट जी. एम. बी. एच. [(1971) 2 सभी ई. आर. 1301 (क्यू. बी. डी. और सी. ए.)] चार्टर-पार्टी के अनुबंध में निहित मध्यस्थता खंड चलाः

" इस चार्टर-पार्टी के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा दो मध्यस्थों द्वारा किया जाएगा, एक को मालिकों द्वारा और दूसरे को चार्टरर्स द्वारा नियुक्त किया जाएगा। संबंधित चार्टरकर्ताओं ने जहाज को एक डच बंदरगाह पर ले जाने का आदेश दिया, जिसका नाम लेडिंग के बिल में नहीं था, जिसके तहत लेडिंग के संतोषजनक बिल समय पर उपलब्ध नहीं थे और अनलोडिंग को लेकर विवाद पैदा हो गए। संबंधित चार्टरर्स की कार्रवाई से जहाज को गिरफ्तार कर लिया गया और बैंक गारंटी पर छोड़ दिया गया। बाद में,

एक चार्टर के तहत संबंधित चार्टरर्स के साथ काफी असंबद्ध जहाज फिर से एक डच बंदरगाह में था और मूल बैंक गारंटी की संतोषजनक प्रकृति के विवाद के परिणामस्वरूप फिर से गिरफ्तार किया गया था। मालिकों ने पोत की दो गिरफ्तारियों में से प्रत्येक के संबंध में हर्जाने के दावे का मध्यस्थता की। चार्टरकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये अपकृत्य में और मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र के बाहर के दावे थे। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थ का अधिकार क्षेत्र (1) पहली गिरफ्तारी पर था क्योंकि यह अनुबंध के तहत विवाद से निकटता से जुड़ा था, और वास्तव में अनुबंध के तहत हर्जाने के दावे का प्रत्यक्ष परिणाम था, और (2) दूसरी गिरफ्तारी पर क्योंकि यह मूल गिरफ्तारी का हिस्सा था।

XXX XXX XXX

44. एलायंस जूट मिल्स कं. लिमिटेड बनाम लालचंद धरमचंद [ए. आई. आर. 1978 कैल 19] एक वाणिज्यिक अनुबंध के पक्षों के बीच विवाद ईस्ट इंडिया जूट एंड हेसियन एक्सचेंज एसोसिएशन के उप-कानूनों के तहत मध्यस्थ थे और प्रासंगिक उप-कानून इस प्रकार थाः " सभी मामले, प्रश्न, विवाद, मतभेद और/या इस अनुबंध से संबंधित और/या इसके संबंध में और/या इसके परिणामस्वरूप या उससे संबंधित दावों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

एक दलाल के माध्यम से, अपीलकर्ता मिल को कुछ मात्रा में फाइबर बेचा गया और माल की डिलीवरी करने के बाद प्रतिवादी 1 ने दलाल के माध्यम से फिर से अपीलकर्ता मिल को बिल जमा किए थे; [2021] 7 एस. सी. आर.

हालाँकि, अपीलार्थी मिल ने वजन में कमी के कारण कीमत में कमी का दावा किया और उस संबंध में दावे प्रस्तुत किए। चूँकि कीमत का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए उत्तरदाता 1 ने दावे को

बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मध्यस्थता। अपीलार्थी मिल ने चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को सूचित किया कि उसने पूरे विषय पर एक मुकदमा दायर किया है - संदर्भ दिया और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 35 के तहत एक नोटिस दिया। प्रत्यर्थी 1 और दलाल के खिलाफ इस प्रकार दायर मुकदमे में घोषणा के अलावा मांग की गई थी कि दलाल का अनुबंध के संबंध में या दलाल द्वारा बेचे गए और वितरित किए गए सामान की कीमत के लिए दलाल द्वारा प्रस्तुत बिलों के संबंध में अपीलकर्ता मिल के खिलाफ कोई दावा नहीं था, अपीलकर्ता मिल ने प्रतिवादी 1 और दलाल द्वारा प्रकाशित कथित मानहानि के लिए हर्जाने के रूप में 50,000 रुपये की डिक्री का भी दावा किया था। मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 34 के तहत मुकदमे पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन में, उठाए गए प्रश्नों में से एक यह था कि क्या मध्यस्थता खंड कथित मानहानि के लिए हर्जाने के दावे को शामिल करने के लिए पर्याप्त था। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मानहानि के लिए हर्जाने का दावा प्रत्यर्थी 1 के बिलों का भुगतान न करने के "कारण" और "संबंध में" उत्पन्न हुआ और न्यायालय को यातना के प्रश्न पर जाने के लिए आवश्यक रूप से ऐसा करना होगा

संबंधित अनुबंध के नियमों और शर्तों में

जाना पड़ता है।

भुगतान और यह कि अपकृत्य में दावा सीधे और अटूट रूप से अनुबंध के नियमों और शर्तों से जुड़ा था और इस तरह मध्यस्थता खंड के दायरे में आया जो उसी को कवर करने के लिए पर्याप्त था। मामले के इस दृष्टिकोण में अदालत ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत मुकदमे पर रोक लगा दी।

XXX XXX XXX

46. जैसा कि पहले कहा गया है कि क्षतिपूर्ति के लिए इस तीसरे दावे के बाद से

हर्जाना सीधे, निकटता से और अटूट रूप से अनुबंध के नियमों और शर्तों, उसके तहत किए जाने वाले भुगतान और उसके उल्लंघनों से जुड़ा हुआ है और चूंकि इसके निर्णय के लिए अनुबंध का सहारा लेना आवश्यक होगा, इसलिए यह होगा

यह अभिनिर्धारित किया जाए कि यह अनुबंध से "उत्पन्न" और किसी भी स्थिति में "संबंधित" दावा है।

XXX XXX XXX

48. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि जी. ई. सी. द्वारा कोर्ट आई. आई. एन. आई. बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी. को संदर्भित तीनों दावे।

लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

आई. सी. सी. के मध्यस्थता के मामले वाणिज्यिक अनुबंध से "उत्पन्न" होते हैं और "संबंधित" होते हैं, वास्तव में पहले दो दावे "अनुबंध के तहत" उत्पन्न होते हैं) और स्पष्ट रूप से व्यापक रूप से शब्दबद्ध मध्यस्थता खंड के भीतर आते हैं जो वाणिज्यिक अनुबंध में निहित अनुच्छेद XVII है। यह भी स्पष्ट है कि मध्यस्थता खंड इसके प्रभाव (दायरे) के सवाल को भी शामिल करता है, अर्थात, यह तीन दावों की मध्यस्थता के मुद्दे को शामिल करता है, ये सवाल कि क्या कानून में, अर्थात्, फोरम का कानून, मध्यस्थों के पास दावों की मध्यस्थता तय करने का अधिकार क्षेत्र और शक्ति होगी या नहीं और क्या रेनुसागर का मुकदमा रोक लगाने के लिए उत्तरदायी है या नहीं, इस पर हम आगे विचार करेंगे, लेकिन इस स्तर पर हम रेनुसागर के वकील की दलीलों को स्पष्ट रूप से नकार रहे हैं कि गुण-दोष के आधार पर तीन दावे मध्यस्थता खंड के दायरे या दायरे से बाहर हैं या कि मध्यस्थता खंड अपनी भाषा में नहीं है।

तीनों दावों की मध्यस्थता के मुद्दे को स्वीकार करें।

68. तारापुर एंड कंपनी v. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (1984) 2 एस. सी. सी. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

39. "अनुबंध से उत्पन्न होने वाला दावा" या "संबंधित" जैसे वाक्यांश

किसी न किसी तरह से विवाद को निपटाने के लिए अनुबंध का सहारा लेते हैं तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि यह अनुबंध से उत्पन्न विवाद है। और इस मामले में मध्यस्थता खंड, जिसे व्यापक रूप से अनुबंध से उत्पन्न होने वाले विवादों के रूप में या अनुबंध या कार्यों के निष्पादन के संबंध में कहा जाता है, अपने दायरे में अनुमानों और उत्पन्न होने से संबंधित मुआवजे के दावे को समझेगा। अनुबंध से बाहर। परीक्षा यह है कि क्या उत्पन्न हुए विवाद को निपटाने के लिए अनुबंध का सहारा लेना आवश्यक है। [

( रसेल ऑन आर्बिट्रेशन, ट्वेंटिएथ एड., पेज 85 देखें)]

69. यह तब विशेष रूप से एस्ट्रो वेंसेडर कम्पानिया को संदर्भित करता था।

पनामा का युग एस. ए. बनाम माबानाफ्ट जीएमबीएच [(1971) 2 क्यूबी 588 के रूप में

वीएसः

21 ] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

42. एस्ट्रो वेंसेडर कम्पानिया नेवेरा एस. ए. ऑफ

पनामा बनाम। माबानाफ्ट जीएमबीएच [(1971) 2 क्यूबी 588: ( 1971 ) 2 सभी ई. आर. 1301: ( 1971 ) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 24] एक सवाल उठा कि क्या अपकृत्य में दावा मध्यस्थता खंड द्वारा कवर किया जाएगा? यह स्वीकार किया गया कि गलत गिरफ्तारी का दावा यातना का दावा है। और यह तर्क दिया गया कि अपकृत्य में दावा मध्यस्थता खंड के भीतर नहीं आ सकता है। लार्ड डेनिंग के माध्यम से बोलते हुए अपील न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपकृत्य में दावा मध्यस्थता खंड द्वारा कवर किया जाएगा, यदि दावे या मुद्दे का लार्ड डेनिंग के साथ पर्याप्त निकट संबंध है।

अनुबंध के तहत दावा।

70. नतीजतन, इस विवाद के पास खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं है।

71. श्री साल्वे ने इस न्यायालय के तीन फैसलों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया, अर्थात्, इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड बनाम। वेसकेयर (इंडिया) लिमिटेड, (2010) 5 एस. सी. सी. 305, क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम। सेवर्न ट्रेंट वाटर , (2013) 1 एस. सी. सी. 641, चेरन प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम।

कस्तुरी एंड संस लिमिटेड, (2018) 16 एस. सी. सी. 413 ने कहा कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 35 और 46 के बीच की तुलना से पता चलता है कि विधायिका ने धारा 46 के तहत प्रवर्तन अदालत की शक्ति को उन व्यक्तियों के लिए सीमित कर दिया है जो विदेशी पुरस्कार से बंधे हैं, जबकि व्यक्तियों में 'उनके तहत दावा करने वाले व्यक्ति' शामिल होंगे और इसलिए, एक विदेशी पुरस्कार अकेले पक्षों पर बाध्यकारी होगा न कि दूसरों पर।

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, धारा 46 "पक्षों" की बात बिल्कुल नहीं करती है, बल्कि "व्यक्तियों" की बात करती है, जो इसलिए मध्यस्थता के गैर-हस्ताक्षरकर्ता हो सकते हैं।

समझौता। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 35 एक मध्यस्थता पुरस्कार के संदर्भ में "व्यक्तियों" के बारे में बात करती है जो क्रमशः "पक्षों" और "उनके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों" के लिए अंतिम और बाध्यकारी है। इसलिए, धारा 35 केवल पक्षों के तहत दावा करने वाले व्यक्तियों को संदर्भित करेगी और इसलिए, इसमें अधिक प्रतिबंधात्मक है।

इसका अनुप्रयोग धारा 46 से अधिक है जो बिना किसी प्रतिबंध के "व्यक्तियों" की बात करती है। इसके अलावा, वर्तमान मामले में डिवीजन बेंच के फैसले से एक और महत्वपूर्ण पहेली पैदा होती है। डिवीजन बेंच के फैसले ने डेलावेयर कानून को खुद को संतुष्ट करने के लिए लागू किया कि इस तरह के कानून का वास्तव में अहंकार परिवर्तन सिद्धांत को सही ढंग से लागू करने के लिए पालन किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप विदेशी पुरस्कार को बरकरार रखना होगा। हम यह इंगित करना चाहते हैं कि यह दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, धारा 48 में विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन का विरोध करने के लिए कोई आधार नहीं है, जो इस बात पर आधारित है कि विदेशी पुरस्कार पक्षों द्वारा सहमत मूल

कानून के विपरीत है और जिसे उसे अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में लागू करना है। वास्तव में, क्या पुरस्कार कानून में सही है जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

( डेलावेयर कानून को लागू करना), प्रासंगिक होगा यदि इस तरह के पुरस्कार को उस राज्य में अलग रखा जाना था जिसमें इसे बनाया गया था और वह भी यदि ऐसी कानून इस आधार पर हस्तक्षेप की अनुमति देती है कि मध्यस्थता पुरस्कार ने समझौते के मूल कानून का उल्लंघन किया था। जैसा कि बताया गया है। इसके अलावा, इस मामले में मध्यस्थता पुरस्कार को मिसौरी राज्य में चुनौती नहीं दी गई थी। इसलिए, इस तर्क में खंड पीठ का हस्तक्षेप पूरी तरह से गलत है।

72. वास्तव में, यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता भारत में आयोजित की जानी थी, तो धारा 28 (1) (बी) यह मानती है कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण कानून के नियमों के अनुसार विवाद का फैसला कर सकता है।

पक्षकारों द्वारा विवाद के सार पर लागू होने के रूप में नामित किया गया है, जिसका बदले में, देश के मूल कानून के साथ सीधा संबंध है, जिसके कानून लागू होने के लिए कहा जाता है। धारा 34 के समान सामग्री प्रावधानों में इस आधार पर इस तरह के निर्णय को दरकिनार करने का कोई आधार नहीं है कि उस देश के मूल कानून का उल्लंघन किया गया है। वास्तव में, एकमात्र आधार जिस पर इस तरह के पुरस्कार में संभवतः हस्तक्षेप किया जा सकता है, वह यह है कि यदि ऐसा पुरस्कार, जो उस कानून के तहत मान्य है, जिसे उसने लागू किया है, को भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत माना जा सकता है। गैरी बोर्न (ऊपर) का इस पर यह कहना है

पहलूः

"सार्वजनिक नीति" के संभावित व्यापक और अनियंत्रित चरित्र के बावजूद, अधिकांश क्षेत्राधिकारों में अदालतें विदेशी पुरस्कारों को मान्यता देने से इनकार करने के लिए अपवाद का आह्वान करने के लिए बहुत अनिच्छुक रही हैं। बल्कि, उन्होंने मान्यता कार्यवाही में सार्वजनिक नीति बचाव के संकीर्ण, असाधारण चरित्र को रेखांकित किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि अपवाद केवल इसलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि विदेशी कानून या विदेशी न्यायाधिकरण एक अलग परिणाम पर पहुंच गया है, या यहां तक कि पूरी तरह से विपरीत है। पुनः, घरेलू
कानून द्वारा प्रदान किए गए। एक अग्रणी स्विस

न्यायिक निर्णय इस दृष्टिकोण का सारांश इस प्रकार देता हैः

" अपीलार्थी भूल जाता है कि प्रवर्तन न्यायालय एक अपीलीय उदाहरण के रूप में मध्यस्थता पुरस्कार पर निर्णय नहीं लेता है; पुरस्कार के गुणों की जनता की आड़ में समीक्षा नहीं की जा सकती है।
नीति "। [ 9 जनवरी 1995 का निर्णय, अंतर समुद्री एम. जी. एम. टी.

एसए वी। रुसिन और वेची, XXII Y. B. कॉम। अरब। 789,796 ( स्विस

संघीय न्यायाधिकरण)]

अन्य अदालतों ने भी बार-बार स्पष्ट किया है कि "गलत कानूनी तर्क या कानून का दुरुपयोग आम तौर पर न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अर्थ के भीतर सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं है।

मान्यता मंच का कानून, या मान्यता मंच को गलत तरीके से लागू करता है कानून, या एक परिणाम तक पहुँचता है जो उसके विपरीत है जो

मान्यता मंच की अदालतें अपने स्वयं के आवेदन करते समय पहुंचेंगी

( या एक विदेशी) कानून, जनता के उल्लंघन को खोजने का आधार नहीं है

अनुच्छेद वी (2) (बी) के तहत नीति।

एक ही सिद्धांत और भी अधिक स्पष्ट रूप से लागू होता है

एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तथ्यात्मक निष्कर्ष।

( पृष्ठों पर 3667-3669)

XXX XXX XXX

यह अक्सर कहा जाता है कि कुछ नियमों का उल्लंघन करने वाला आचरण

आपराधिक प्रतिबंधों के प्रकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से निहित हैं। सार्वजनिक नीतियाँ, आतंकवाद, समुद्री डकैती, दास-व्यापार, नशीली दवाओं के अपराध

तस्करी, यातना, हत्या, अपहरण और डकैती सभी आम हैं।

सार्वजनिक नीति के उदाहरण के रूप में पहचाना गया। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मध्यस्थता समझौतों का संदर्भः

" अंग्रेजी अदालत के बीच एक समझौते को मान्यता नहीं देगा

..... हाईवेमैन अपने मतभेदों को मध्यस्थता करने के लिए इससे अधिक

आय को विभाजित करने के लिए मूल समझौते को मान्यता देगा।

[ सुलेमानी वी। सुलेमानी [1999] क्यू. बी. 785,797 (अंग्रेजी सीटी। एपल)]

समान रूप से, न तो एक अंग्रेजी अदालत और न ही अधिकांश अन्य राज्यों की अदालतें

उद्यम या जो अन्यथा गंभीर आपराधिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाता है, चाहे राजमार्ग पर डकैती, आतंकवाद, नशीली दवाओं की तस्करी, दास-व्यापार,

मानव-तस्करी या इसी तरह के अपराध। लेकिन व्यवहार में, यह है इस तरह के उद्यमों में शामिल अपराधियों का आना असामान्य है।

कहीं भी वकीलों या मध्यस्थों के करीब; के अन्य रूप

वैकल्पिक विवाद समाधान का उपयोग लगभग ऐसी सभी व्यवस्थाओं में किया जाता है।

इसके परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बहुत कम होते हैं

गंभीर आपराधिक गतिविधियों के पाठ्य-पुस्तक मामलों को शामिल करना।

( पृष्ठों पर 3672-3693)

73. इस प्रकार, यदि किसी मामले में किसी विदेशी देश का मूल कानून

एक मादक दवा को कानूनी होने के रूप में मान्यता देना जिसके आधार पर एक जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

फिर ऐसी दवा की आपूर्ति के लिए पुरस्कार का आदेश दिया जाता है, इस तरह के पुरस्कार का संभवतः भारत में इस आधार पर विरोध किया जा सकता है कि ऐसे मामले में इस तरह के समझौते को प्रभावी बनाना भारतीय कानून की मौलिक नीति के विपरीत होगा जिसमें स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ऐसी दवा के आयात पर प्रतिबंध लगाता है। धारा 48 के तहत किसी विदेशी पुरस्कार को इस आधार पर शून्य नहीं ठहराया जा सकता है कि उसने समझौते के मूल कानून का उल्लंघन किया है।

स्पष्टीकरण 1 (iii) के साथ पठित धारा 48 (2), सांगयोंग (उपर्युक्त) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यह केवल उन अपवादात्मक मामलों में है जिनमें कुछ बुनियादी बातें शामिल हैं। न्याय का उल्लंघन जो न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है कि इस तरह की याचिका पर विचार किया जा सकता है। इस न्यायालय ने कहाः

70. "न्याय की सबसे बुनियादी धारणाएँ" अभिव्यक्ति का उल्लेख मिलता है। धारा 34 (2) (ख) के उपखंड (iii) के स्पष्टीकरण 1 में। यहाँ फिर से,

जिसे संदर्भित किया जाता है, मूल रूप से या प्रक्रियात्मक रूप से, कुछ

न्याय का मूल सिद्धांत जिसका उल्लंघन किया गया है, और

जो न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है। .....

XXX XXX XXX

76. हालाँकि, जब भारत की सार्वजनिक नीति की बात आती है, तो तर्क

"न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं" के आधार पर, यह स्पष्ट है कि

मैदान को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही आकर्षित किया जा सकता है।

जब न्यायालय की अंतरात्मा उल्लंघन से स्तब्ध हो जाती है

न्याय की मूलभूत धारणाएँ या सिद्धांत। 75. मध्यस्थ ने सही माना कि कुछ भी आने वाला नहीं था

किसी भी अपीलार्थी से, उसे सबसे अच्छा निर्णय लेना होगा

क्षति के लिए मूल्यांकन। उस मूल्यांकन को करने में, उन्होंने डी. एम. सी. के दो ग्राहकों से जी. बी. टी. द्वारा अर्जित किए जा रहे कमीशन को ध्यान में रखा और प्रति माह 100,000 यू. एस. डी. के आंकड़े पर पहुंचे और फिर एक उचित अनुमान पर पाया कि वे चार साल की अवधि के लिए ग्राहक बने रहेंगे, जिसके परिणामस्वरूप 6,948,100 यू. एस. डी. का आंकड़ा पहुंच गया।

76. कि इस तरह के 'अनुमान' कानून के लिए एक अजनबी नहीं हैं

जे. फ्रेडरिक थॉमस किंग्सले बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए आशुतोष मुखर्जी के एक फैसले में यू. एस. और अन्य सामान्य कानून परंपरा वाले देशों में हर्जाने बहुत पहले स्थापित किए गए हैं। भारत के राज्य सचिव

1923 कैल 49. इस निर्णय में, की एक विद्वान खंड पीठ आटा उच्च न्यायालय ने इसे इस प्रकार रखाः -

यह स्वीकार किया जा सकता है कि हालांकि कर्तव्य का हर उल्लंघन उत्पन्न होता है

वास्तविक क्षति, मार्जेटी बनाम। विलियम्स [(1830) आई बी एंड एड। 415 : 35 आर. आर. 329] , एम्बेरी वी। ओवेन [(1851) 6 एक्सएच। 353 : 86 आर. आर. 331],

वसूली योग्य क्षति की राशि, सामान्य नियम के रूप में, नियंत्रित होती है।

परिणाम में हुई वास्तविक क्षति की सीमा से

प्रतिवादी के अधिनियम, हायर्ट वी। एल. एन. डब्ल्यू. राय। कं. [ ( 1879 ) 4 Exch।

डिव. 188. ] . इस तरह के नुकसान का प्रमाण स्वीकार करने वाले मामलों में, राशि

उचित निश्चितता के साथ स्थापित किया जाना चाहिए, वाणिज्य

निश्चितता की आवश्यकता है, न ही सभी मामलों में, प्रत्यक्ष की आवश्यकता है राशि के बारे में प्रमाण। नुकसान अनिश्चित नहीं है

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देने में देखा गया हेज़टेल बनाम में संयुक्त राज्य अमेरिका। बाल्टीमोर एंड ओ. आर. कं. [(1897) 169

26 (38)], उचित सीमा तक निश्चितता आवश्यक है, और उस भाषा का अर्थ यह है कि नुकसान का नुकसान इस तरह होना चाहिए

मन में पैदा करने के बारे में अटकलों या संदेह से दूर बुद्धिमान और समझदार पुरुषों का यह विश्वास कि इसकी सबसे अधिक संभावना है

अनुबंध के उल्लंघन का पालन करें और एक संभावित और

इसका प्रत्यक्ष परिणाम। इसी प्रभाव के लिए मॉरिस में निर्णय है

वी. संयुक्त राज्य अमेरिका [174 यू. एस. 291] जहाँ पूर्ण निश्चितता असंभव है,

प्रत्यक्ष रूप से परिणामी प्रशासन के नुकसान के बारे में निष्पक्ष पुरुषों का निर्णय।

( पृष्ठ 50,51 पर)

77. महत्वपूर्ण रूप से, यह निर्णय यू. एस. को संदर्भित करता है और उस पर निर्भर करता है।

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय के निर्णय।

78. हालांकि, श्री विश्वनाथन ने एग्रीट्रेड पर भरोसा किया

“ राष्ट्रीय (पी) लिमिटेड बनाम राष्ट्रीय कृषि सहकारी समिति। एमकेटीजी।

राशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (ऊपर) और विशेष रूप से पैरा 24, जिसमें कहा गया हैः

24. की ओर से की गई प्रस्तुतियों में भी योग्यता है नाफेड ने कहा कि मध्यस्थ के समक्ष कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी

एग्रीट्रेड द्वारा न्यायाधिकरण यह दिखाने के लिए कि वास्तव में, इसका कोई नुकसान हुआ था

नेफेड द्वारा जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन पी. वी. टी. की मात्रा के लिए एल/सी नहीं खोलने के परिणामस्वरूप नुकसान।

लिमिटेड। वी. एकीकृत बिक्री सेवा लिमिटेड। & एएनआर। [ आर. एफ. नरीमन, जे]

5000 एम. टी. सी. पी. ओ. 14 जनवरी 2008 को अपने अंतिम पुरस्कार में, मध्यस्थ। न्यायाधिकरण ने केवल डिफ़ॉल्ट तिथि को 7 अक्टूबर 2004 के रूप में स्वीकार किया और नुकसान का आकलन करने के लिए "क्लोज आउट मूल्य" निर्धारित करने के लिए आगे बढ़े। जब तक एग्रीट्रेड को हुए नुकसान का वास्तविक प्रमाण नहीं था, तब तक अनुबंधित मूल्य और क्लोज आउट मूल्य के बीच किसी भी अंतर का पुरस्कार भी किसी भी सबूत के आधार पर नहीं माना जाना चाहिए।

79. इस मामले के तथ्य उपरोक्त उच्च न्यायालय के फैसले के तथ्यों से बहुत दूर हैं। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि उपाध्याय और पाठक की साजिशों के परिणामस्वरूप, जैसा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पाया, आई. एस. एस. को प्रतिनिधित्व समझौते के तहत वैध रूप से कमीशन से वंचित कर दिया गया था। ऐसा होने पर, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष साबित तथ्यों पर, वास्तविक नुकसान आईएसएस को हुआ कहा जा सकता है।

80. किसी भी मामले में, इस मामले के तथ्यों में इस तरह से दिए गए नुकसान को दूर से भी इस न्यायालय की अंतरात्मा को झटका देने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

धारा 48 (2) स्पष्टीकरण (1) (iii) में निहित "न्याय की मूल धारणा" के आधार पर।

81. परिणाम यह है कि लागत के बारे में किसी भी आदेश के बिना हमारे द्वारा दिए गए कारणों के लिए अपील खारिज कर दी जाती है।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन